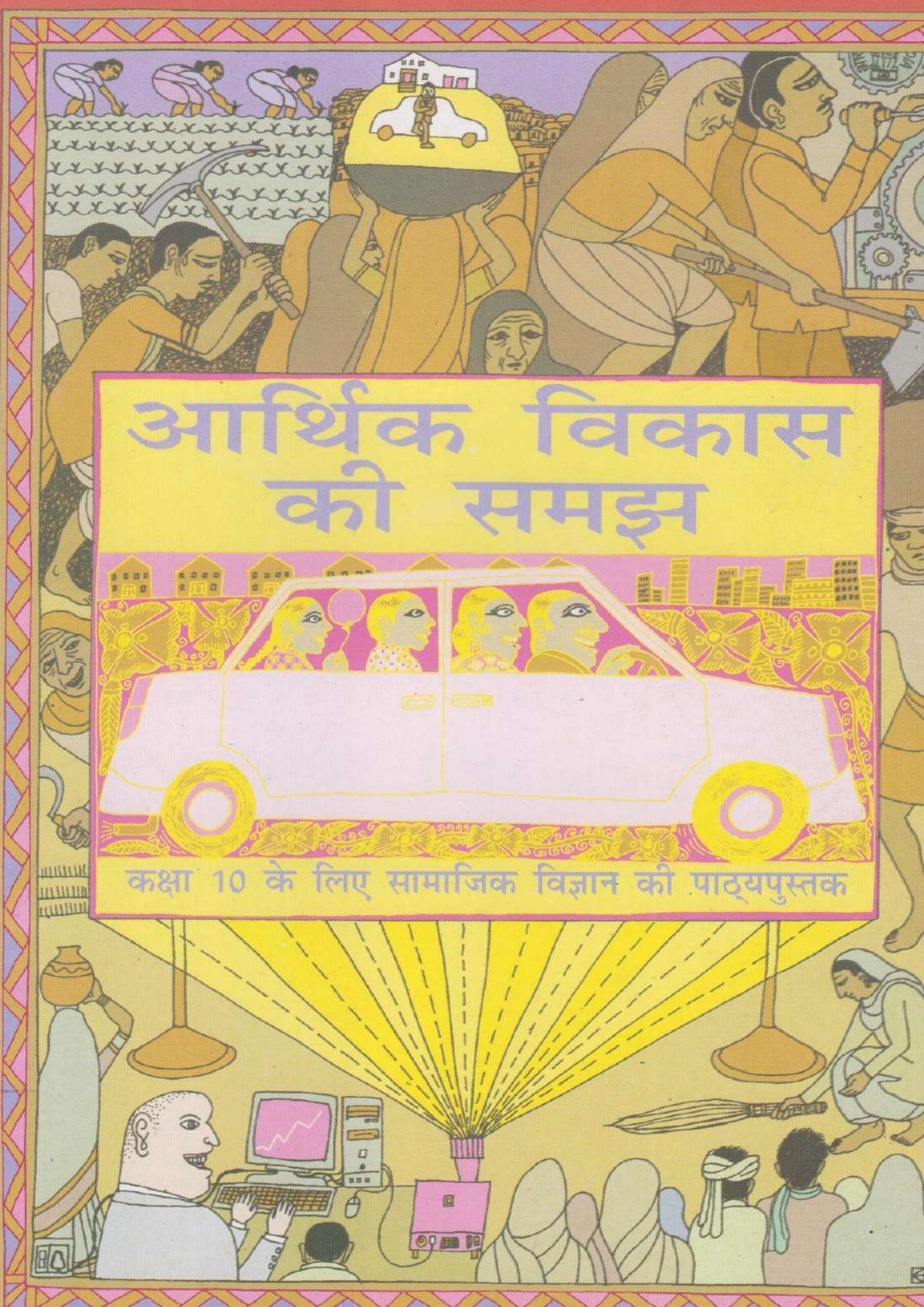




आर्थिक विकास की समझ

कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक

आर्थिक विकास की समझ

कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

मार्च 2007 चैत्र 1928

पुनर्मुद्रण

नवंबर 2007 कार्तिक 1929

जनवरी 2009 माघ 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 पौष 1932

मार्च 2013 फाल्गुन 1934

फरवरी 2014 माघ 1935

जनवरी 2015 पौष 1936

PD 50T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा इंडियन प्रिंटिंग वर्क्स, ई-4, झंडेवालान, रानी झांसी मार्ग, नयी दिल्ली 110 055 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। खंड की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फोट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशकरी III स्ट्रेज

बंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: एन. के. गुप्ता
मुख्य संपादक	: श्वेता उप्पल
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: गौतम गांगुली
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: अरुण चितकारा
(प्रभारी)	
सहायक उत्पादन अधिकारी	: जहान लाल

आवरण, सज्जा एवं चित्र

केरन हेडॉक

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोखोरता की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को सार्थक बनाने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जानेवाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर तापस मजूमदार की विशेष आभारी है। इस

पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षक हेतु कुछ परिचयात्मक बातें

यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-प्रक्रिया के सरलीकृत रूप से परिचय कराती है। अर्थशास्त्र में हम प्रायः विकास को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक या उपभोक्ता के रूप में लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कभी-कभी विकास का अध्ययन मुख्यतः एक परिघटना के रूप में किया जाता है जिसे केवल आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की संवृद्धि के साथ महत्त्व प्राप्त हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी देश का विकास (या अल्पविकास) अक्सर युद्धों और विजयों के परिणामों पर एवं एक देश द्वारा दूसरे देश के औपनिवेशिक शोषण पर निर्भर रहा है। परन्तु इस पुस्तक में हमने बाह्य कारकों पर बल नहीं दिया है। हमने विकास-प्रक्रिया के लम्बे परिदृश्य को लिया है: ऐसी प्रक्रिया जो किसी बाह्य कारकों के हस्तक्षेप या उससे बाधित होने से पहले आरम्भ हो सके। विकास की प्रक्रिया ऐसी बाधाओं के बाद भी पुनः आरंभ हो सकती है और पराधीनता की समाप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती है। अपने देश भारत का विकास इसी प्रकार हुआ है।

इस पुस्तक में सर्वप्रथम देश में विकास की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों—कृषि, विनिर्माण और सेवा—के उदय के रूप में देखते हैं। हमने आर्थिक विकास को पृथक रूप में नहीं, बल्कि मानव-विकास की सामान्य अवधारणा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को व्यापक रूप से परिभाषित करनेवाले (आय सहित) अन्य संकेतकों को भी शामिल किया है, के अंग के रूप में देखने की कोशिश की है।

प्रथम अध्याय में, हम अध्ययन करेंगे कि लोग वास्तव में विकास की अवधारणा को कैसे समझते हैं और इसका मापन कैसे किया जा सकता है? इस उद्देश्य के लिए कई मापदंड उपलब्ध हैं। हम देखेंगे कि विकास को समझने में कुछ महत्वपूर्ण विकास संकेतक कहाँ तक सहायक हैं और विकास-प्रक्रिया अलग-अलग लोगों को कैसे अलग-अलग रूप में प्रभावित कर सकती है।

एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत संभवतः अतीत में कुछ पहले हुई। विकास को हम जिस अर्थ में समझते हैं उस अर्थ में शायद किसी भी देश को विकसित नहीं कहा जा सकता। विकास-प्रक्रिया की शुरुआत संभवतः मानव-बसावटों से हुई होगी, जब लोग अपेक्षाकृत शांति से एवं कम या अधिक निश्चित निवास स्थानों में बड़े पैमाने पर कृषि संभव नहीं होने के बावजूद रहने लगे। जब कृषि की शुरुआत हुई और कृषिगत क्रियाओं का विकास आरम्भ हुआ, तब संभवतः अन्य प्राकृतिक उत्पादों, जैसे खनिज अयस्कों के निष्कर्षण की भी शुरुआत हुई। पत्थरों एवं अन्य खनिजों को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को 'उत्खनन' कहा जाता है।

मनुष्य ने औजार, अस्त्र-शस्त्र, बर्तन, मछली का जाल और अनेक चीजें बनाने के लिए अखाद्य उत्पादों, जैसे — पेड़ों से लकड़ी और कच्चे माल के रूप में उत्खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग करना सीखा। ये प्रथम मानव-निर्मित उत्पाद थे जिन्हें 'शिल्पकृतियाँ' कहा जाता है।

अर्थशास्त्री कृषि (उत्खनन सहित), जिसमें फल, चावल, खनिज जैसे शुद्ध प्राकृतिक उत्पादों का संग्रहण, खेती या निष्कर्षण शामिल है, से अन्तर करने के लिए शिल्पकृतियाँ बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं।





श्रम सभी संपत्तियों का स्रोत है।

उत्खनन सहित कृषि (जिसे प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं) और विनिर्माण (जिसे द्वितीयक क्षेत्रक भी कहते हैं), इन दो क्षेत्रकों के बीच उत्पादन-गतिविधियों का विभाजन आर्थिक विकास का संभवतः प्रथम दृष्ट स्वरूप था। यह विभाजन 'श्रम-विभाजन' की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। यह नाम अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। इस प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या नीचे की गई है।

सर्वप्रथम एक व्यक्ति या कम से कम एक परिवार के सदस्य संभवतः सभी कार्य स्वयं करते थे। उसके बाद कहीं-कहीं श्रम-विभाजन का लाभ महसूस किया गया। मानव ने अनुभव के साथ पाया कि जब कुछ लोगों ने मछली पकड़ने, कुछ अन्य लोगों ने खेतों की जुताई या मिट्टी के बर्तन बनाने या पक्षियों और जानवरों का शिकार करना सीखने पर ध्यान केन्द्रित किया तो दक्षता पूर्ण ढंग से उत्पादन होने लगा। यह भी एक प्रकार का 'विकास' ही था। इसके बाद विशेषज्ञों का उदय हुआ, जो स्वयं वस्तुओं का बिल्कुल उत्पादन नहीं करते थे परन्तु दूसरों को यह बताने में विशेषज्ञ थे कि बेहतर ढंग से उत्पादन कैसे किया जाए। जो डॉक्टर थे, वे घायल या बीमार पड़े लोगों का उपचार करते थे। इस प्रकार, श्रम विभाजन से स्वभावतः सभी लोगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ।

द्वितीय अध्याय में उस तरीके का अध्ययन करेंगे जिसके तहत आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों के ढाँचे में समझा जा सकता है। यहाँ चर्चा तीनों क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप पर केन्द्रित है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के दो अन्य रूपों - संगठित एवं असंगठित और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों - की भी चर्चा की गई है। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझने में वर्गीकरण के अन्य रूपों की प्रासंगिकता की विस्तृत व्याख्या वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भ-अध्ययनों के माध्यम से की गयी है।

तृतीय अध्याय पाठकों को मुद्रा संसार में ले जाता है जहाँ आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, इसके प्रकार एवं अनेक संस्थाओं, जैसे बैंकों से संबंध की चर्चा है। इस अध्याय में लोगों को साख उपलब्ध कराने वाली अन्य संस्थाओं और बैंकों की भूमिका पर चर्चा की गई है। चर्चा में साख के जिन मुद्दों पर बल दिया गया है, वे हैं- (अ) जनसंख्या के एक बड़े भाग के बीच साख की उपलब्धता, (ब) भारत में अनौपचारिक साख की बहुलता और (स) उत्पादक निवेश, उच्चतर आय प्रवाह, उत्पादक निवेश में सहायक उच्च जीवन स्तर का स्वपोषित 'सुचक्र' या ऋणग्रस्तता, निर्धनता और निर्धनता की वृद्धि में सहायक कर्ज-जाल 'दुश्चक्र' के निर्माण में साख की भूमिका। ये सभी अवधारणाएँ संदर्भ-अध्ययनों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं।

वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसने विकास-प्रक्रिया और विश्व के लोगों को कई तरह से प्रभावित किया है। चतुर्थ अध्याय वैश्वीकरण के एक विशेष आर्थिक आयाम, उत्पादन, के जटिल ताने-बाने पर केन्द्रित है। इसमें व्याख्या की गई है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ व्यापार और निवेश के जरिए वैश्वीकरण में मदद करती हैं। इस अध्याय में वैश्वीकरण में सहायक कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों और संस्थाओं को भी स्थान मिला है। अध्याय के अन्त में भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों (सकारात्मक एवं नकारात्मक) का मूल्यांकन किया गया है।

विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में केवल उत्पादन स्तर की वृद्धि में ही मदद नहीं करती है, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। इस अध्याय में दिए गए उदाहरण और संदर्भ अध्ययन यह परीक्षण करने का प्रयत्न करते हैं कि विकास का लाभ सभी लोगों (छोटे एवं बड़े उत्पादकों, संगठित या असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों, सभी आय-वर्ग के उपभोक्ताओं, पुरुष एवं महिलाओं) को मिल रहा है या कुछ सुविधा प्राप्त लोगों तक ही सीमित है।

अंतिम अध्याय एक प्रासंगिक अध्ययन प्रस्तुत करता है कि कैसे और किस सीमा तक हम उपभोक्ता के रूप में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं? तीव्र विकास की प्रक्रिया एवं नये ब्रांडों के उदय और अनैतिक उत्पादकों के विज्ञापन अभियानों के युग में प्रायः उपभोक्ता ही भ्रष्ट व्यवसाय का शिकार होता है। उपभोक्ता आंदोलनों की ऐतिहासिकता की पहचान के साथ वास्तविक जीवन के अनेक दृष्टान्तों के माध्यम से यह अध्याय वर्षों से विकसित विभिन्न किफायती उपभोक्ता संरक्षण क्रिया विधियों की चर्चा करता है। यह अध्याय विस्तृत विवरण देता है कि कष्टप्रद, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया से अलग हटकर संचालित विशेष उपभोक्ता अदालतों से लोग कैसे अत्यन्त कम खर्च पर अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएँ

इस पुस्तक का उद्देश्य अपने आसपास के अर्थिक जीवन को समझना है और इस बारे में भी विचार करना है कि लोगों के आर्थिक विकास से हम क्या समझते हैं। अवधारणात्मक स्पष्टता और इन अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हमने इसमें अनेक उदाहरणों और संदर्भ-अध्ययनों का उपयोग किया है। सम्पूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें पढ़कर और उपयोग किया जाना चाहिए।

अध्याय **शिक्षक के लिए निर्देश** से प्रारम्भ होते हैं। किसी भी अध्याय को पढ़ाने से पहले शिक्षक को यह पृष्ठ पढ़ना चाहिए। इसमें (क) अध्याय की विषय-वस्तु और व्यापक दृष्टिकोण (ख) अध्याय की विषय-वस्तु को पढ़ाने के लिए कुछ निर्देश तथा (ग) विभिन्न शीर्षकों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के स्रोतों के विवरण दिए गए हैं।

सभी अध्यायों में प्रत्येक खंड के बाद **आओ-इन पर विचार करें** के अन्तर्गत अनेक अभ्यास दिए गए हैं। इसमें खंड के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रश्न हैं और कुछ खुले परिणाम वाले प्रश्न और कार्यकलाप हैं जिन्हें कक्षाओं में या कक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। कुछ अभ्यासों को परिचर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए। छात्र इन पर समूहों में चर्चा कर सकते हैं और उनके निष्कर्षों और उत्तरों को सम्पूर्ण कक्षा में बहस के लिए रखा जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, परन्तु यह अनिवार्य है क्योंकि इनसे छात्रों को छान-बीन करने और एक-दूसरे से सीखने में सहायता मिलती है। इसका अभिप्राय पहले की तुलना में छात्रों के बीच अधिक पारस्परिक सहयोग में मदद करना है। लेकिन इसकी कोई तयशुदा विधि नहीं है। प्रत्येक शिक्षक को स्वयं अपने पढ़ाने का ढंग विकसित करना होगा और हमें उनकी क्षमता पर विश्वास है।

इस पुस्तक को तैयार करते समय हमने अनेक संदर्भ सामग्रियों का उपयोग किया है। इसके अलावा समाचार पत्रों की अनेक कतरनों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्टों का भी उपयोग किया है। इनमें से कुछ का उल्लेख **शिक्षक के लिए निर्देश** में किया गया है और कुछ पुस्तक के अन्त में सुझावित पाठ्य-सामग्रियों में दिए गए हैं।

अतिरिक्त जानकारियों और पाठ्य-सामग्रियों की कक्षाओं में चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक है। यह संक्षिप्त सर्वेक्षणों, आसपास के लोगों के साक्षात्कारों, संदर्भ-पुस्तकों अथवा समाचार पत्रों की कतरनों इत्यादि के रूप में हो सकता है। इसलिए इनका उपयोग छात्रों द्वारा स्वतः चार्ट बनाने, वॉल पेपर डिस्प्ले, प्रदर्शन एवं बहस आदि के रूप में प्रत्युत्तर एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए।



मूल्यांकन

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 और परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय फोकस समूह के स्थिति पत्र ने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तरीकों में बदलाव के लिए अपील की है। इस पुस्तक में पूछे गए प्रश्न रटने को बढ़ावा देने वाली मूल्यांकन प्रणाली से हटकर पाठकों की रचनात्मक सोच, कल्पनाशीलता, प्रत्युत्तर और विश्लेषण क्षमता को धारदार बनाने वाली प्रणाली अपनायी गई है। यहाँ दिए गए उदाहरणों के आधार पर शिक्षक अतिरिक्त प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं।



केन्द्रीय अवधारणा की समझ का परीक्षण करने वाले प्रश्न

- (अ) सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) किसी विशेष वर्ष में उत्पादित का कुल मूल्य है।
 - (क) सभी वस्तुओं और सेवाओं
 - (ख) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
 - (ग) सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं
 - (घ) सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
- (ब) विकास के लिए साख की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- (स) भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों का उत्पादन किस प्रकार उत्पादन को परस्पर संबंधित करने में सहायक होगा?
- (द) श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा?



विश्लेषणात्मक योग्यता, व्याख्या और सुसंगत प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन हेतु प्रश्न

- (अ) निम्नलिखित सारणी में तीनों क्षेत्रों के द्वारा जी.डी.पी. में योगदान को दिखाया गया है (करोड़ रुपये में)।

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
1950	80,000	19,000	39,000
2000	3,14,000	2,80,000	5,55,000

- (क) 1950 और 2000 में तीनों क्षेत्रों की जी.डी.पी. में हिस्सेदारी की गणना कीजिए।
- (ख) आँकड़ों को अध्याय 2 के आरेख 2 के समान दण्ड-आरेख में प्रदर्शित कीजिए।
- (ग) दण्ड-आरेख से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
- (ब) भारत में 80 प्रतिशत किसान, छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए साख की जरूरत है।
 - (क) बैंक छोटे किसानों को कर्ज देने की अनिच्छा क्यों प्रकट करते हैं?
 - (ख) अन्य स्रोत क्या हैं जहाँ से छोटे किसान उधार ले सकते हैं।
 - (ग) छोटे किसानों के लिए ऋण की शर्तें कैसे प्रतिकूल हो सकती हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
 - (घ) कुछ ऐसे तरीकों का सुझाव दीजिए जिससे छोटे किसान सस्ते ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिबिम्बित सोच के परीक्षण हेतु प्रश्न

- (अ) चित्र को देखिए (झुगियों के बीच ऊँचे भवन)। ऐसे क्षेत्रों के लिए विकास लक्ष्य क्या होना चाहिए?
- (ब) “पृथ्वी पर सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन हैं परन्तु किसी भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।” विकास के संदर्भ में यह कथन किस प्रकार प्रासंगिक है? चर्चा करें।
- (स) “तृतीयक क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है।” क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
- (द) लोग खराब सड़कों या पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव की शिकायत करते हैं परन्तु कोई सुनता नहीं है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम आपको सवाल करने का अधिकार देता है। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए।



वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अवधारणाओं एवं विचारों को लागू करने की योग्यता का परीक्षण करने वाले प्रश्न

- (अ) आपके गाँव, शहर या क्षेत्र के विकास लक्ष्य क्या हो सकते हैं?
- (ब) विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक या कनिष्ठ और वरिष्ठ समूह में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त की गई कसौटी क्या है? आपके विचार से क्या यह उपयोगी वर्गीकरण है?
- (स) शहरी क्षेत्रों में रोज़गार में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है?
- (द) प्रच्छन्न बेरोज़गारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण लेकर व्याख्या कीजिए।
- (घ) यदि आप अपने क्षेत्र के बाज़ार परिसर (शॉपिंग कम्प्लेक्स) में जाते हैं तो उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।



इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के विषय अन्तःसंबंधित हैं। इनसे ऐसे प्रश्न विकसित करने की आवश्यकता है जो छात्रों का ध्यान पाठ्यक्रम के एक या अधिक विषयों के सार्थक संबंधों की ओर आकर्षित करें। उदाहरण के लिए, अध्याय-4 का एक प्रश्न अध्याय-2 से संबंधित है— अध्याय-4 में, हमने देखा कि एक का विकास दूसरों के लिए विनाश हो सकता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पता कीजिए कि ये लोग कौन हैं और वे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं?

हम आशा करते हैं कि आप अपने छात्रों सहित इस पुस्तक का समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे और अपनी आलोचनाओं, प्रश्नों एवं सहमतियों को निम्न पते पर हमें भेजेंगे और हम इस चर्चा को पुनः जारी रख सकेंगे।

कार्यक्रम समन्वयक

अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक, कक्षा- 10

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

श्री अरविन्दो मार्ग

नयी दिल्ली-110016

ईमेल आईडी: classtenecons2007@hotmail.com

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक (माध्यमिक स्तरीय) सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, आचार्य, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, अवकाश प्राप्त आचार्य, अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

सलाहकार

सतीश कु. जैन, आचार्य, आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

सदस्य

अरविन्द सरदाना, एकलव्य, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेटिव एक्शन, मध्य प्रदेश

नीरजा रश्मि, प्रवाचक, पाठ्यचर्या समूह, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

नीरजा नौटियाल, टी.जी.टी. (सामाजिक विज्ञान), केंद्रीय विद्यालय, बी.ई.जी. सेंटर, दक्कन कॉलेज रोड, यवदा, पुणे

रजिन्दर चौधरी, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

राम गोपाल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु

सुकन्या बोस, एकलव्य, फेलो, नयी दिल्ली

विजय शंकर, समाज प्रगति सहयोग, बागली ब्लॉक, जिला-देवास, मध्यप्रदेश

अनुवादक मंडल

पी.के. तिवारी, रिसर्च स्कॉलर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

शिखा गर्ग सेठी, सी-49, पम्पोस इन्कलेव, नयी दिल्ली

शिवानन्द उपाध्याय, 520, लाडो सराय, महरौली, नयी दिल्ली

सदस्य समन्वयक

एम. वी. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

आभार

यह पुस्तक विद्वानों, विद्यालय के शिक्षकों, छात्रों शैक्षिक कार्यकर्ताओं और हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के विचारों, टिप्पणियों और सुझावों का परिणाम है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जीन ट्रेज, विजिटिंग प्रोफेसर, गो.ब. पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद; आर. नागराज, प्रोफेसर, इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई; राममनोहर रेड्डी, एडीटर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और सुजन कृष्णमूर्ति, स्वतंत्र शोधकर्ता, मुम्बई; एस. कृष्णकुमार, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; तारा नायर, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द केशव दास, गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद; जॉर्ज चेरियन, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट इंटरनेशनल, जयपुर; निर्मल्य बसु, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर; मनीष जैन, शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का पुस्तक निर्माण में दिए सुझावों के लिए आभार प्रकट करती है। हम अपने सहकर्मियों के. चन्द्रशेखर, शैक्षिक मापदण्ड एवं मूल्यांकन विभाग, आर. मेघनाथन, भाषा विभाग, अशिता रवीन्द्रन एवं जया सिंह, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का उनकी सामग्रियों एवं सुझावों के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हम (स्व.) दीपक बनर्जी, प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त), प्रेसीडेन्सी कॉलेज, कोलकाता के अमूल्य परामर्शों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

कई शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार से इस पुस्तक में योगदान दिया है। कांता बंसल, उप प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय न. 2, मिलिटरी हॉस्पिटल रोड, बेलगाम छावनी, बेलगाम, कर्नाटक; रेनू देशमना, टी.जी.टी. (सामाजिक विज्ञान) केन्द्रीय विद्यालय न.2, दिल्ली छावनी, गुडगाँव रोड, दिल्ली; नलिनी पद्मनाभन, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र) डी.टी.ई.ए. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जनकपुरी, नयी दिल्ली के योगदानों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-47, चंडीगढ़ के छात्रों एवं शिक्षकों के फीडबैक एवं प्रतिक्रियाएँ इस पुस्तक के सुधार हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण थी।

हम समीक्षा समिति के सदस्यगण - एच.के. गप्ता, सी-78, सृजमल विहार, दिल्ली; ओ.पी.अग्रवाल डी-12, द्वितीय तल, कालकाजी, नयी दिल्ली; लीना सिंह पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केन्द्रीय विद्यालय, ए.जी.सी.आर. दिल्ली तथा रमेश चन्द्र, ए-56, डी.डी.ए. प्लैट, कटवारिया सराय, नयी दिल्ली के भी आभारी हैं, जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया तथा अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

परिषद् निम्न व्यक्तियों एवं संगठनों को अपनी पुस्तकों और अभिलेखागारों से हमें फोटोग्राफ उपलब्ध कराने और उनके उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है: जॉन ब्रेमन एवं पार्थिव शाह की वर्किंग इन द मिल नो मोर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली सेंटर फॉर एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन, दिल्ली फोरम; निरन्तर, दिल्ली एवं अनन्ति, गुजरात; शुभ लक्ष्मी, दिल्ली, अंबुज सोनी, देवास, मध्य प्रदेश; करेन हेडॉक, चंडीगढ़; और एम.वी. श्रीनिवासन, डी.ई.एस.एस.एच.; प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय; भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय; मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई एवं सीताराम भरतिया विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली।

हम इस पुस्तक में प्रयुक्त समाचार कतरनों के लिए 'द हिन्दू' एवं 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के ऋणी हैं।

सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग को उनके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं।

पांडुलिपियों की जाँच करने और उनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए सुझाव देने हेतु वंदना आर. सिंह, सलाहकार संपादक, को विशेष धन्यवाद।

इस पुस्तक को तैयार करने हेतु परिषद् डी.टी.पी. ऑपरेटर मुकद्दस आजम, मोहम्मद हारून रशिद, ऋतु शर्मा; दिनेश कुमार सिंह इंचार्ज कम्प्यूटर कक्ष; प्रशासनिक कर्मचारी डी.ई.एस.एस.एच.; कॉपी एडीटर, विनय शंकर पाण्डेय, सतीश झा के संपादकीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त करती है। अंततः प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. के प्रयासों के प्रति भी आभारी है।

विषय सामग्री

आमुख iii

शिक्षक हेतु कुछ परिचयात्मक बातें v

अध्याय 1

विकास 2

अध्याय 2

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 18

अध्याय 3

मुद्रा और साख 38

अध्याय 4

वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 54

अध्याय 5

उपभोक्ता अधिकार 74

सुझावात्मक पाठ 90

शिक्षक के लिए निर्देश

अध्याय 1 – विकास

विकास के कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को यही विचार समझाना है। उनके लिये यह समझना आवश्यक है कि लोगों की विकास के बारे में अलग-अलग धारणाएँ हैं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। इसके लिये हमने ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया है, जिन पर वे सहजबुद्धि से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। हमने ऐसे विश्लेषण भी दिए हैं जिनकी प्रकृति ज्यादा जटिल और बृहत् है।

दूसरा प्रश्न यह है कि देशों और राज्यों की तुलना कुछ चयनित विकास सूचकांकों के आधार पर कैसे की जा सकती है, इस अध्याय में विद्यार्थी इसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय इसे मापने की एक विधि है। यद्यपि आय के द्वारा विकास मापने की विधि उपयोगी है, इसके कुछ दोष भी हैं। इसलिए, हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणीयता जैसे नए सूचकांकों के प्रयोग करने की आवश्यकता है।

आपके लिये यह अपेक्षा करना आवश्यक है कि विद्यार्थी उपर्युक्त विषय पर कक्षा में सक्रिय प्रतिक्रिया दिखायें। इस विषय पर विद्यार्थियों की राय में काफ़ी अंतर हो सकता है और इस पर विवाद होना भी संभव है। विद्यार्थियों को अपने-अपने दृष्टिकोण रखने दीजिए। हर खंड के अंत में कुछ प्रश्न और क्रियाकलाप दिये गये हैं। इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, वे इस भाग में चर्चित विचारों को संक्षेप में बताते हैं और दूसरा, वे विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों के निकट लाकर

इन विषयों को बेहतर तरीके से समझने के योग्य बनाते हैं।

इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है— जैसे कि प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक। इन शब्दों से संबंधित आँकड़े दिए गये हैं तथा इन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इनका विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। आपको क्रय शक्ति समता की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होगा जिसका तालिका 1.6 में प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए प्रयोग किया गया है। यह आवश्यक है कि इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में सहायता के लिए किया जाए न कि उनको कंठस्थ करने के लिए।

सूचना के स्रोत

इस अध्याय के लिए आँकड़े भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट और विश्व बैंक (विश्व विकास सूचकांक) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से लिए गए हैं। ये रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। यदि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में ये रिपोर्ट हैं, तो इन्हें देखना अच्छा होगा। अगर नहीं, तो आप इन संस्थानों की वेबसाइट (*website*) पर जा सकते हैं (*www.budgetindia.nic.in*, *www.undp.org*, *www.worldbank.org*)। आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक की हैंडबुक ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनॉमी में भी उपलब्ध हैं। इसके लिए आप *www.rbi.org* वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।



अध्याय 1

विकास

विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएँ और इच्छाएँ हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं? इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए? हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? लोग मिल-जुलकर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं, वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह, हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं।



मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते...
इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता

विकास क्या वादा करता है-विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य

हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। उनकी क्या आकांक्षाएँ हैं? आप देखेंगे कि कुछ स्तम्भ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं।

तुम एक कार चाहते हो? अभी देश की जो स्थिति है, उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश, तुम्हारे पास एक रिक्शा होता!



तालिका 1.1 विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य

व्यक्ति की श्रेणी	विकास के लक्ष्य/आकांक्षाएँ
भूमिहीन ग्रामीण मजदूर	काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी; स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम; कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गाँव में वे भी नेता बन सकते हैं।
पंजाब के समृद्ध किसान	किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें।
किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं	
भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला	
शहरी बेरोज़गार युवक	
शहर के अमीर परिवार का एक लड़का	
शहर के अमीर परिवार की एक लड़की	उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है।
नर्मदा घाटी का एक आदिवासी	

तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग-अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए

सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात् वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में, कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं, जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष

आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटायेगा, की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह, अधिक बिजली पाने के लिए, उद्योगपति ज्यादा बाँध चाहते हैं। लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जायें, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बाँध या तालाब पसंद करें।

इस तरह दो बातें साफ हैं – एक, अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है।



इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते!

आय और अन्य लक्ष्य

आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पायेंगे: लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मज़दूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं।

किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि, कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएँ ही पर्याप्त नहीं होती।

द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएँ एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप को यह बात स्पष्ट नहीं लगती है, तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आप को उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन, यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता, वह महत्त्व नहीं रखता।

नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई में वृद्धि किये जाने के विरुद्ध प्रदर्शन



एक और उदाहरण देखिए। अगर आप को कहीं दूर-दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं? दूसरी नौकरी में यद्यपि आप को वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोज़गार हो सकता है, जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी।

इसी तरह, विकास के लिए, लोग मिले-जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएँ वेतनभोगी कार्य करती हैं, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि, यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है, तो घर में उनके काम-काज में ज़्यादा हाथ बँटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जायेगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएँ विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं।

आओ-इन पर विचार करें

1. अलग-अलग लोगों की विकास की धारणाएँ अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों?
 - (क) क्योंकि लोग भिन्न होते हैं।
 - (ख) क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं।
2. क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है, कारण सहित उत्तर दीजिए।
 - (क) लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं।
 - (ख) लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है।
3. कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए, जहाँ आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
4. ऊपर दिये गए खण्ड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए।

राष्ट्रीय विकास

जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए?

संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर दिये होंगे। हो सकता है, आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास

के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएँ भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं।

लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है।

आओ-इन पर विचार करें

निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए -

1. दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए?
2. इस अख़बार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

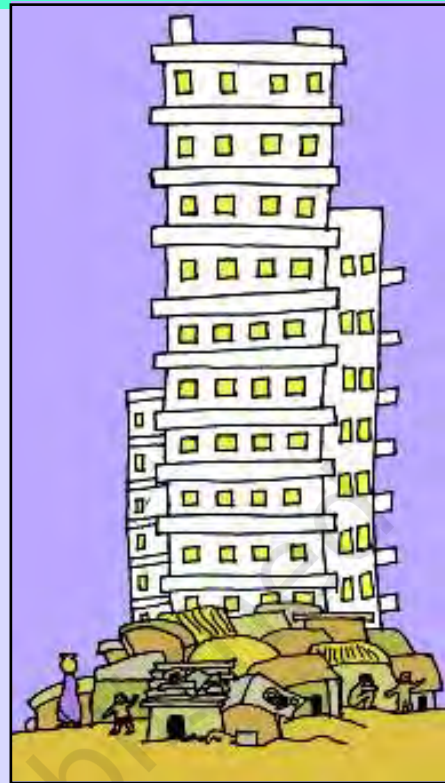
एक जहाज़ ने 500 टन तरल ज़हरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ। इन ख़तरनाक ज़हरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएँ से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें कीं। एक महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भरती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया।

पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज़ से ज़हरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था।

(क) किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं?

(ख) इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए?

3. आपके गाँव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए?



कार्यकलाप 1



यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं, तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अख़बारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं।

विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए?

आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग-अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं।

जब हम भिन्न-भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएँ और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊँचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर हैं। हो सकता है, सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो, हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदण्ड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदण्ड होंगे। फिर भी, अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे?

सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएँ लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएँ चुनी जाएँ इस पर मतभेद हो सकते हैं— विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक?

यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस

समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पायेंगे। इसलिये, ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है।

अब, एक देश की आय क्या है? अन्तर्दृष्टि से, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है।

लेकिन, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग-अलग होती है, कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है? क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए, हम **औसत आय** की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को **प्रतिव्यक्ति आय** भी कहा जाता है।

विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार, देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदण्ड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2010 में प्रतिव्यक्ति आय US \$ 12276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश और वे देश जिनकी प्रतिव्यक्ति आय US \$ 1005 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रतिव्यक्ति आय 2010 में केवल US \$ 1340.4 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है।

औसत आय

यद्यपि 'औसत आय' तुलना के लिए उपयोगी हैं, फिर भी यह असमानताएँ छुपा देते हैं।

उदाहरण के लिए, दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए, हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों की औसत आय निकालिए।

तालिका 1.2 दो देशों की तुलना

देश	2012 में नागरिकों की मासिक आय (रुपये में)					औसत
	1	2	3	4	5	
देश क	9,500	10,500	9,800	10,000	10,200	
देश ख	500	500	500	500	48,000	

क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हममें से कुछ लोग देश

'ख' में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के पाँचवें नागरिक होंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हममें से ज्यादातर लोग देश 'क' में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश 'क' के लोग न तो बहुत अमीर हैं न बहुत गरीब, जबकि देश 'ख' के ज्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है।

गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश

हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं



गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश



हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया

आओ-इन पर विचार करें

1. तीन उदाहरण दीजिए, जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है।
2. आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है? व्याख्या कीजिए।
3. प्रतिव्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त, आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं?
4. मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए।
5. विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न-आय वाले देशों की प्रतिव्यक्ति आय ज्ञात कीजिए।
6. एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए?

आय और अन्य मापदण्ड

जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा, तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं।

तालिका 1.3 चयनित राज्यों की प्रति-व्यक्ति आय

राज्य	2012-13 के लिए प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
महाराष्ट्र	1,07,670
केरल	88,527
बिहार	28,774

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, 2013-14

ये विशेषताएँ क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति-व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में, ये आँकड़े वर्ष 2012-13 की वर्तमान कीमतों पर प्रति-व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर, हम इसे राज्य की प्रति-व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति-व्यक्ति आय सबसे अधिक है

और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,07,670 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 28,774 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति-व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में महाराष्ट्र सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आँकड़ों पर नजर डालते हैं, जो कि तालिका 1.4 में दिये गए हैं।

तालिका 1.4 महाराष्ट्र, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आँकड़े

राज्य	शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति (2012)	साक्षरता दर % (2011)	निवल उपस्थिति अनुपात (प्रति 100 व्यक्ति) उच्चतर (आयु 14 तथा 15 वर्ष) 2009-10
महाराष्ट्र	25	82	64
केरल	12	94	78
बिहार	43	62	35

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, 2013-14

(अ) अनंतिम

इस तालिका में प्रयोग किये गए कुछ शब्दों की व्याख्या -

शिशु मृत्यु दर - किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है।

साक्षरता दर - 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात।

निवल उपस्थिति अनुपात - 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु-वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत।

यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यह अनुपात 25 है जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की प्रति-व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है जैसा तालिका 1.3 में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता-पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता-पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता-पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि ये आँकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2012 के हैं तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं; यह हमारी स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद की बात है जब हमारे देश के बड़े शहर ऊँची-ऊँची इमारतों



अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी नहीं मिल पातीं

और खरीददारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं।

समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग दो-तिहाई बच्चे कक्षा 9-10 में स्कूल नहीं जा रहे हैं अर्थात् यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते, तो आपकी कक्षा के दो-तिहाई से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता, तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं।

सार्वजनिक सुविधाएँ

ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सके, जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएँ और सेवाएँ प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यता आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएँ आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएँ पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता।

वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग-अलग सुरक्षा गार्ड रखना? आप क्या करते, अगर आपके गाँव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता-पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से लड़कियाँ, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार/समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं।





केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, कुछ राज्यों में सार्वजनिक

वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है।

आओ-इन पर विचार करें

1. तालिका 1.3 और 1.4 के आँकड़ों को देखिए। क्या महाराष्ट्र बिहार से साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रतिव्यक्ति आय के विषय में?
2. ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए, जहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है।
3. अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं?
4. तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 75 प्रतिशत लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि झारखंड में केवल 8 प्रतिशत ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों?



कार्यकलाप 2

तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े।

तालिका 1.5 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी

श्रेणी	पुरुष	महिला
ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर	52%	19%
10-14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर	68%	39%
10-14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत	64%	31%

- (क) सभी आयु वर्गों की साक्षरता दर, जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों के लिए थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए थी। यही नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए बल्कि इस समय स्कूल में नहीं है।
- (ख) इस तालिका से स्पष्ट है कि प्रतिशत ग्रामीण लड़कियाँ और प्रतिशत ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसलिए, 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से प्रतिशत ग्रामीण लड़कियाँ और प्रतिशत ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं।
- (ग) हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी, आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता बहुत चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुँच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था।

कार्यकलाप 3

यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वयस्क अल्प पोषित है, एक तरीका है, जिसे पोषण वैज्ञानिक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक (वी.एम.आई.) कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लीजिए। फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए। फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्पपोषित कहा जाएगा। लेकिन अगर यह 25 से अधिक है, तो वह व्यक्ति अतिभारित है। लेकिन याद रखिए कि यह मापदण्ड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता।

कक्षा में हर विद्यार्थी और 3 वयस्कों का वजन और ऊँचाई मापें। इसके लिए अलग-अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के वयस्कों को चुनें, जैसे कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर, घर में काम करने वाले नौकर और दफ्तरों में काम करने वाले लोग, व्यापारी इत्यादि। सभी विद्यार्थियों से इन आँकड़ों को इकट्ठा करके एक संयुक्त तालिका बनाइए। फिर उनकी वी.एम.आई. की गणना कीजिए। क्या आप व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके पोषण के स्तर में कोई संबंध पाते हैं?



मानव विकास रिपोर्ट

एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लम्बी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक-जैसे हमने केरल और महाराष्ट्र की तुलना करने के लिए प्रयोग किये, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में, स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2014 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आँकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा।

तालिका 1.6 वर्ष 2013 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आँकड़े

देश	सकल राष्ट्रीय आय (स.रा.आ.) प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में (2011 क्रय शक्ति क्षमता)	जन्म के समय संभावित आयु	साक्षरता दर 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए 2005-2012	विश्व में मानव विकास सूचकांक (HDI) का क्रमांक
श्रीलंका	9,250	74.3	91.2	73
भारत	5,150	66.4	62.8	135
म्यांमार	3,998	65.2	92.7	150
पाकिस्तान	4,652	66.6	54.9	146
नेपाल	2,194	68.4	57.4	145
बंगलादेश	2,713	70.7	57.7	142

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2014

टिप्पणी

- HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है।
- जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है।
- प्रतिव्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सके।

क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा-सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है? यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रतिव्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी से कम है, फिर भी वह भारत से आयु संभाविता और साक्षरता स्तर में बहुत पीछे नहीं है।

एच.डी.आई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास

रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले, यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है – एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है।

क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए?

विकास की धारणीयता

हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊँचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है।

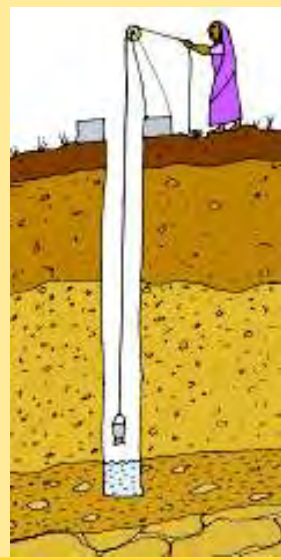
“हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है— हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है।”

अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं।

उदाहरण 1— भारत में भूमिगत जल

“हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति-उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आयी है। देश का लगभग एक तिहाई भाग, भूमिगत जल भण्डारों का अति-उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60 प्रतिशत भाग इस साधन का अति-उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति-उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेज़ी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है।”

1. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति-उपयोग हो रहा है?
2. क्या बिना अति-उपयोग के विकास हो सकता है?



भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण हैं। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति-उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति-उपयोग कर रहे होंगे।

गैर नवीकरणीय साधन वो हैं, जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात् समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भण्डार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी-कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नये स्रोत भण्डार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएँगे।

उदाहरण के लिए, हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका को देखिए।

उदाहरण 2 – प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए।

तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भण्डार

क्षेत्र/देश	भण्डार (2013) (हजार मिलियन बैटल)	भण्डारों के चलने की अवधि (वर्षों में)
मध्य-पूर्व	808.5	78.1
संयुक्त राज्य अमरीका	44.2	12.1
विश्व	1687.9	53.3

स्रोत: बी.पी. स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, जून 2014

यह तालिका कच्चे तेल के भण्डारों के अनुमान (कॉलम 1) को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भण्डार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है। किंतु अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। यह भण्डार केवल 46 वर्षों में समाप्त हो जाएँगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिसके पास तेल के पर्याप्त भण्डार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती है, तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भण्डार तो कम है लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न, इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है।

1. क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए।
2. भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं?



पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते; यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिल-जुल कर काम कर रहे हैं।

विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में, हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं? इसलिए विकास पर बहस जारी है।

अभ्यास

- सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है –
 - प्रतिव्यक्ति आय
 - औसत साक्षरता स्तर
 - लोगों की स्वास्थ्य स्थिति
 - उपरोक्त सभी
- निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है?
 - बांग्लादेश
 - श्रीलंका
 - नेपाल
 - पाकिस्तान
- मान लीजिए कि एक देश में चार परिवार हैं। इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति आय 5,000 रुपये हैं। अगर तीन परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या है?
 - 7,500 रुपये
 - 3,000 रुपये
 - 2,000 रुपये
 - 6,000 रुपये
- विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिये किस प्रमुख मापदण्ड का प्रयोग करता है? इस मापदण्ड की, अगर कोई है, तो सीमाएँ क्या हैं?
- विकास मापने का यू.एन.डी.पी. का मापदण्ड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदण्ड से अलग है?
- हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएँ हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
- प्रतिव्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक महाराष्ट्र से ऊँचा है। इसलिए प्रतिव्यक्ति आय एक उपयोगी मापदण्ड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

8. भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात् क्या संभावनाएँ हो सकती हैं?
9. धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
10. धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए।
11. पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों।
12. तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन-सा देश सबसे ऊपर है और कौन-सा सबसे नीचे।
13. नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्प-पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

राज्य	पुरुष (%)	महिला (%)
केरल	22	19
कर्नाटक	36	38
मध्य प्रदेश	43	42
सभी राज्य	37	36

(क) केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए।

(ख) क्या आप अन्दाज़ लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40 प्रतिशत लोग अल्पपोषित क्यों हैं, यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है? अपने शब्दों में विवरण दीजिए।

अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप

अपने क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा के लिए तीन भिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उनसे पूछिए। इन विचारों की समूहों में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह एक दीवार-चार्ट बनाए जिसमें कारण सहित उन विचारों का उल्लेख करे, जिनसे आप सहमत अथवा असहमत हैं।

शिक्षक के लिए निर्देश

अध्याय 2— भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं, जब इसके घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में तीन प्रकार के वर्गीकरणों की चर्चा की गई है— प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक; संगठित/असंगठित और सार्वजनिक/निजी। आप दैनिक जीवन में छात्रों से परिचित उदाहरणों के द्वारा इन वर्गीकृत क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्षेत्रकों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देना आवश्यक है। सेवा क्षेत्रक की तीव्र संवृद्धि की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः इन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस अध्याय में प्रस्तुत धारणाओं की विस्तार से व्याख्या करते समय छात्रों को कुछ मौलिक अवधारणाओं जैसे – राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि से अवगत कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। चूँकि छात्रों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए उदाहरण के द्वारा इन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है। छात्रों को समझने में सहायक अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास इस अध्याय में दिए गए हैं – किसी व्यक्ति के कार्य को कैसे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, संगठित या असंगठित और सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक में रखा जा सकता है। आप छात्रों को उनके आसपास के कामकाजी लोगों (दुकान के मालिक, अनियत श्रमिक, सब्जी विक्रेता, कार्यशाला मैकेनिक, घरेलू नौकर इत्यादि) से बात करने के लिए, कि वे कैसे रहते और काम करते हैं तथा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का स्वयं वर्गीकरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

क्षेत्रकों की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्याएँ एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। इस अध्याय में बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है,

इसके उदाहरण दिए गए हैं। कृषि के घटते महत्व और उद्योगों एवं सेवाओं के बढ़ते महत्व को, छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से लिए गए अधिकाधिक उदाहरणों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छात्रों को अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनों और विवरणों को लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिन्हें कथापटलों पर प्रदर्शित किया जा सके और इन पर चर्चा की जा सके। असंगठित क्षेत्रक पर चर्चा करते समय कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आप छात्रों को असंगठित क्षेत्रक के लोगों तथा उद्यमों के पास जाकर उनकी वास्तविक जीवन-परिस्थितियों का साक्षात् अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

सूचना के स्रोत

इस अध्याय में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के आँकड़े औद्योगिक उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित वर्ष 2004-05 के मूल्य के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। यह स.घ.उ. एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मूल्यांकन के लिए, विशेषकर पाठकों की विश्लेषण क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से शिक्षक कई वर्षों के आँकड़े प्राप्त करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख कर सकते हैं।

रोजगार आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर किए गए पाँचवर्षीय सर्वेक्षणों के आँकड़ों पर आधारित है। रा.प्र.स.सं., भारत सरकार के सांख्यिकी, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत एक संगठन है। इसकी वेबसाइट: <http://mospi.nic.in> को आप देख सकते हैं। रोजगार-आँकड़े अन्य स्रोतों जैसे भारत की जनगणना में भी उपलब्ध है।



आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक

निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएँगे। इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय सम्पादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है।



हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारम्भ करते हैं।



प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ हैं। जैसे-कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम **मुख्यतः, न कि पूर्णतया**, प्राकृतिक कारकों जैसे-वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार, डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद

तृतीयक
क्षेत्रक



अन्य क्षेत्रों के
विकास में मदद
पहुँचाता है

के अन्तर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है; यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएँ सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत कातते और कपड़ा बनाते हैं। गन्ने को कच्चे

प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो **तृतीयक क्षेत्रक** के अन्तर्गत आती हैं और उपर्युक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन-प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे – प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी वस्तुओं को गोदामों में भण्डारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार (संवाद) या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भण्डारण, संचार, बैंक सेवाएँ और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्रक को **सेवा क्षेत्रक** भी कहा जाता है।

सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएँ भी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे, हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएँ जैसे, इंटरनेट कैफे, ए.टी.एम. बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कम्पनी इत्यादि भी महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

यद्यपि आर्थिक गतिविधियाँ तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर-निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं।

तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण

उदाहरण	यह क्या प्रदर्शित करता है?
कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इंकार कर दें, तो क्या होगा। मिल बंद हो जाएगी।	यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है, जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है।
कल्पना करें कि यदि कम्पनियाँ भारतीय बाज़ार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी।	
किसान, ट्रैक्टर, पम्पसेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएँ खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पम्पसेटों की कीमत बढ़ जाती है, तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा।	
औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टों ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियाँ, दूध इत्यादि ले जाने से इंकार कर दिया, तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जायेंगे।	

आओ—इन पर विचार करें

- विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर-निर्भरता दिखाते हुए उपर्युक्त सारणी को भरें।
- पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के अंतर की व्याख्या करें।
- निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित करें:

• दर्जी	• पुजारी	• कुम्हार
• टोकरी बुनकर	• कूरियर पहुँचाने वाला	• मधुमक्खी पालक
• फूल की खेती करने वाला	• दियासलाई कारखाना में श्रमिक	• अंतरिक्ष - यात्री
• दूध-विक्रेता	• महाजन	• कॉल सेंटर का कर्मचारी
• मछुआरा	• माली	
- विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है? क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? चर्चा करें।

तीन क्षेत्रों की तुलना

प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही, इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए, अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं।

प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं?

आप सोचते होंगे कि हज़ारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद् कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कम्प्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की

संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है।

आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे, यदि 10,000 कि.ग्रा. गेहूँ 8 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बेचा जाता है तो, गेहूँ का मूल्य 80,000 रु. होगा। 10 रु. प्रति नारियल की दर से 5000 नारियल का मूल्य 50,000 रु. होगा। इसी प्रकार, तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं।

ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु (या सेवा) की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे, एक किसान किसी आटा-मिल को 8 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के चार पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रु. में (15 रु. प्रति पैकेट) बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात् वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुँचती है।

केवल 'अंतिम वस्तुओं और सेवाओं' की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूँ और आटा जैसी वस्तुएँ मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। मध्यवर्ती वस्तुएँ, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट (अंतिम वस्तु) के मूल्य 60 रु. में पहले

लेकिन मुझे इस गेहूँ का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए, जिसका मैंने उत्पादन किया।



से ही आटा का मूल्य (10 रु.) शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूँ और आटा के मूल्य की अलग-अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। पहले गेहूँ के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं।

किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का **सकल घरेलू उत्पाद (स. घ. उ.)** कहते हैं। यह **किसी देश के भीतर** किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स. घ. उ. अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है।

भारत में स. घ. उ. मापन जैसा कठिन कार्य केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएँ एकत्र करता है और तब जी. डी. पी. का अनुमान करता है।

क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन

सामान्यतया, अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है।

जैसे-जैसे कृषि-प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे-वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय-विक्रय की गतिविधियाँ कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक

और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी, इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएँ प्राकृतिक उत्पाद थी, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थीं और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे।

लम्बे समय (सौ वर्षों से अधिक) के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया।

विगत 100 वर्षों में, विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है।

भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है। हम इसे अगले खंड में देखेंगे।

आओ-इन पर विचार करें

1. विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है?
2. अव्यवस्थित वाक्यांश से स. घ. उ. गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें।

उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत पाँच वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 23

भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक

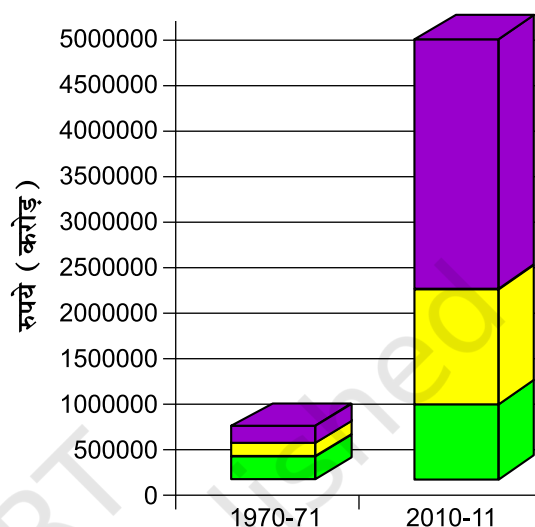
आलेख 1 – तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह दो वर्षों 1970-71 और 2010-11 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि चालीस वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी संवृद्धि हुई है।

आओ-इन पर विचार करें

आरेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें-

1. 1970-71 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था?
2. 2010-11 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन था?
3. क्या आप बता सकते हैं कि तीस वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक संवृद्धि हुई?
4. 2011 में भारत का जी. डी. पी. क्या है?

आलेख 1 – प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा स. घ. उ.



सन् 1970-71 और 2010-11 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है? इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विचार करें।

उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्त्व

वर्ष 1970-71 और 2010-11 के बीच चालीस वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परन्तु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2010-11 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा।

भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं।

प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं, जैसे- अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएँ, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएँ माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है।

द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भण्डारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की माँग उतनी ही अधिक होगी।

तृतीय, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे – रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की माँग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं।

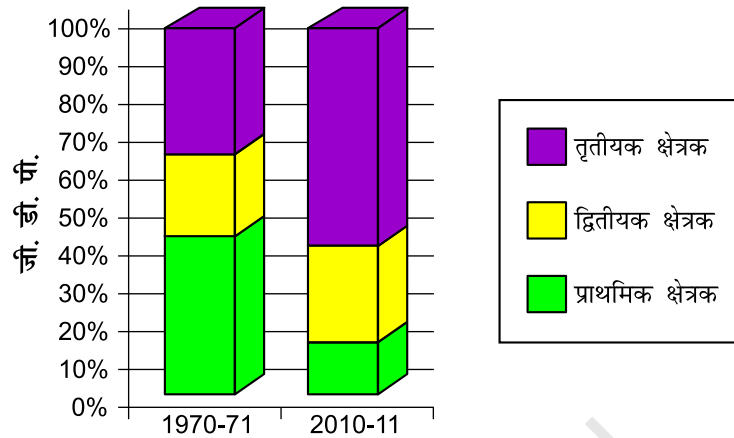
चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएँ महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय-4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे।

अंततः, आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्रक की सभी सेवाओं में समान रूप से संवृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्रक कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक ओर, उन सेवाओं की संख्या सीमित है, जिसमें अत्यन्त कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर, बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्रक के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे।

अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं?

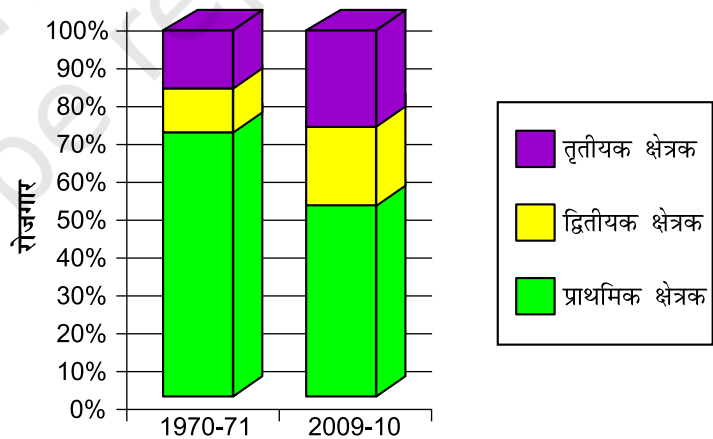
आलेख 2 – स. घ. उ. में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप चालीस वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं।

आलेख 2 – स. घ. उ. में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी (%)



भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि स. घ. उ. में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आरेख 3 – वर्ष 1970-71 एवं 2009-10 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है।

आलेख 3 – रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी (%)



प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस

अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई परन्तु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परन्तु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई।

परिणामतः, देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक, मुख्यतः कृषि क्षेत्र, में काम कर रहे हैं जिसका स. घ. उ. में योगदान केवल एक-चौथाई है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का स. घ. उ. में हिस्सा तीन-चौथाई है। परन्तु, ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं?

क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव, यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्रक के श्रमिकों में **अल्प बेरोजगारी** है।

एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास दो हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी पाँच सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है। परन्तु, वास्तव में उनका **श्रम-प्रयास** विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परन्तु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। **इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं क्योंकि यह उन लोगों**



की बेरोजगारी, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है (खुली बेरोजगारी)। इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है।

अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मज़दूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए पाँच लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः दो लोगों के चले जाने से कृषि-उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में, दो सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे।

भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्रक से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी।

अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, शहरों में सेवा क्षेत्रक में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेन्टर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्रक के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, **जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं, परन्तु बहुत कम कमा पाते हैं।** वे यह काम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है।

आओ-इन पर विचार करें

- आलेख 2 और 3 में दिए गए आँकड़ों का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।

तालिका 2.2 स. घ. उ. और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी

	1970-71	2000 या 2010-11
स. घ. उ. में हिस्सेदारी		
रोजगार में हिस्सेदारी		

40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रों में आप क्या परिवर्तन देखते हैं?

- सही उत्तर का चयन करें –

अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग –

- काम करना नहीं चाहते हैं।
- सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं।
- अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं।
- उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

- विकसित देशों में देखे गए लक्षणों की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बतायें। भारत में क्षेत्रों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे, जो नहीं हुए?
- हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए?

अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो?

उपर्युक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है? हम कुछ तरीकों को देखते हैं।

हम लक्ष्मी और उसके दो हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएँ का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। हम मान लेते हैं कि एक हेक्टेयर गेहूँ की फसल दो लोगों को 50 दिनों (बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में) तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के दो अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नये बाँध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने-आप कम हो जाएगी।



अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी? इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भण्डारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुँच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान, जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है।

लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पम्पसेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती। इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है, तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के

हरियाणा में गुड़ निर्माण



साथ-साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। हम अध्याय-4 मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे।

हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर (दलहन फसलें) उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भण्डारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भण्डारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँवों में हम शहद संग्रह केन्द्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों, जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, टमाटर और फल इत्यादि, जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा।

आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं, जिन पर अमल किया जा सके?

क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु-वर्ग 5-29 वर्ष में लगभग 47 प्रतिशत बच्चे हैं? इनमें से 52 प्रतिशत के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष विद्यालय नहीं जाते हैं - वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक

भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय-1 में चर्चा कर चुके हैं।

प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा। अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने अभी भारत के 200 जिलों में **काम का अधिकार** लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इनमें 130 अन्य जिले जोड़े गये हैं। 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों



में काम शुरू किया गया है। इसे **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 (रा.ग्रा.रो. गा.अ.-2005)** कहते हैं। रा. ग्रा. रो. गा. अ. -2005 के अन्तर्गत उन सभी लोगों, जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अन्तर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी, जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आओ-इन पर विचार करें

1. आपके विचार से रा. ग्रा. रो. गा. अ. को 'काम का अधिकार' क्यों कहा गया है?
2. कल्पना कीजिए, कि आप ग्राम के प्रधान हैं और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों का सुझाव दीजिए जिसे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा करें।
3. यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी?
4. शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है?

संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन

अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? क्या कोई नियम और विनियम है, जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है?

कान्ता

कान्ता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9.30 से शाम 5.30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अन्त में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कान्ता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरम्भ की थी, तब उसे एक नियुक्ति-पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था।



कमल

कमल, कान्ता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7.30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है, उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक-पत्र नहीं मिला है, जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है।



क्या आप कान्ता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अन्तर देखते हैं?

कान्ता संगठित क्षेत्रक में काम करती है। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य-स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों, जैसे, कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, इत्यादि में उल्लेख किया

गया है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं। परन्तु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं।

संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को रोजगार-सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई

दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या हैं? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य-पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं।

इसके विपरीत, कमल असंगठित क्षेत्रक में काम करता है। असंगठित क्षेत्रक छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयों, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, से निर्मित होता है। इस क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले

रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है, तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसन्द पर निर्भर होते हैं।

इस क्षेत्रक में काफी संख्या में लोग अपने-अपने छोटे कार्यों, जैसे- सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं।

आओ-इन पर विचार करें

- निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। इनमें से कौन असंगठित क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं?
 - विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक
 - बाज़ार में अपनी पीठ पर सीमेन्ट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक
 - अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान
 - अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर
 - एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक
 - एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक
 - अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर।
- संगठित क्षेत्रक में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। सभी पहलुओं पर उनकी कार्य-स्थितियों की तुलना करें।
- असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? अपने शब्दों में व्याख्या करें।
- संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई सारणी में दी गई है। सारणी को सावधानी से पढ़ें। विलुप्त आँकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों का उत्तर दें।

तालिका 2.2 – विभिन्न क्षेत्रकों में श्रमिकों की संख्या (दस लाख में)

क्षेत्रक	संगठित	असंगठित	कुल
प्राथमिक	2		242
द्वितीयक	9	54	63
तृतीयक	17	76	93
कुल	28		
कुल प्रतिशत में			100%

- असंगठित क्षेत्रक में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है?
- क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्रक की गतिविधि है? क्यों?
- यदि हम सम्पूर्ण देश पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में _____ % श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में हैं। भारत में लगभग _____ % श्रमिकों को ही संगठित क्षेत्रक में रोजगार उपलब्ध है।

असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो?

संगठित क्षेत्रक अत्यधिक माँग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। लेकिन संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आम तौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है। उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है।

सन् 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्रक के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्रक में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्रक में और अधिक रोजगार की ज़रूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है।



जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियाँ बेचते या टेला खींचते या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं।

ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बैटाईदारों और कारीगरों (जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार) से रचित होता है। भारत में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि-उपकरणों, साख, भण्डारण सुविधा और विपणन केन्द्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है।

शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र-निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है।

हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो असंगठित क्षेत्रक में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है।

स्मरण कीजिए

हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियाँ हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है।

आर्थिक गतिविधियों को तीन क्षेत्रों— प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए 'कार्य के स्वभाव' को कसौटी की रूप में उपयोग किया गया। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार, हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया।

वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? वे समस्याएँ और समाधान क्या थे, जिनकी ओर संकेत किया गया? क्या आप जानकारियों को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं?

तालिका 2.4 आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण

क्षेत्रक	इस्तेमाल की गई कसौटी	सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष	इंगित समस्याएँ और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है?
प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक	कार्य का स्वभाव		
संगठित असंगठित			

स्वामित्व आधारित क्षेत्रक— सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक

आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है— परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? **सार्वजनिक क्षेत्रक** में, अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएँ उपलब्ध कराती है। **निजी क्षेत्रक** में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) अथवा रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कम्पनियाँ निजी स्वामित्व में हैं।

निजी क्षेत्रक की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त

करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्रक का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? ज्ञात करें।

कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परन्तु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र

करना भी आसान नहीं है। फिर, यदि वे चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊँची कीमत वसूलते हैं। जैसे, सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बाँध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है।

कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं, जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते, जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे, उत्पादन-मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन-लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बन्द हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है।

इसी प्रकार, भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूँ और चावल खरीदती है। इसे अपने गोदामों में भण्डारित करती है और राशन-दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा-9 में खाद्य-सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ

भाग वहन करती है। इस प्रकार, सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुँचाती है।

अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी हैं, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। **इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है।** जैसे- सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है।

इसी प्रकार, हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक-चौथाई गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। ओडिशा (53) अथवा मध्य प्रदेश (56) का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों, जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएँ और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यन्त निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे।

सारांश

इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में से किससे संबंधित है। भारत के विगत तीस वर्षों के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जी. डी. पी. में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोज़गार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्रक में ही मिलता है। हमने यह भी देखा है कि

देश में रोज़गार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केन्द्रित करना अनिवार्य क्यों है।

अभ्यास

1. कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
 - (क) सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। (हुई है/नहीं हुई है)
 - (ख) क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। (तृतीयक/कृषि)
 - (ग) क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार-सुरक्षा प्राप्त होती है। (संगठित/असंगठित)
 - (घ) भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। (बड़े/छोटे)
 - (ङ) कपास एक उत्पाद है और कपड़ा एक उत्पाद है। (प्राकृतिक/विनिर्मित)
 - (च) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियाँ हैं। (स्वतंत्र/परस्पर निर्भर)
2. सही उत्तर का चयन करें –
 - (अ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं:
 - (क) रोजगार की शर्तों
 - (ख) आर्थिक गतिविधि के स्वभाव
 - (ग) उद्यमों के स्वामित्व
 - (घ) उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या
 - (ब) एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है।
 - (क) प्राथमिक
 - (ख) द्वितीयक
 - (ग) तृतीयक
 - (घ) सूचना प्रौद्योगिकी
 - (स) किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को स. घ. उ. कहते हैं।
 - (क) सभी वस्तुओं और सेवाओं
 - (ख) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
 - (ग) सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं
 - (घ) सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
 - (द) स.घ.उ. के पदों में वर्ष 2010-11 में तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी है।
 - (क) कुल 20 से 30 प्रतिशत के बीच
 - (ख) 30 से 40 प्रतिशत के बीच
 - (ग) 50 से 60 प्रतिशत के बीच
 - (घ) 70 प्रतिशत

3. निम्नलिखित का मेल कीजिए –

कृषि क्षेत्रक की समस्याएँ	कुछ संभावित उपाय
1. असिंचित भूमि	(अ) कृषि-आधारित मिलों की स्थापना
2. फसलों का कम मूल्य	(ब) सहकारी विपणन समितियाँ
3. कर्ज भार	(स) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली
4. मंदी काल में रोजगार का अभाव	(द) सरकार द्वारा नहरों का निर्माण
5. कटाई के तुरन्त बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विवशता	(य) कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना

4. विषम की पहचान करें और बताइए क्यों?

- (क) पर्यटन-निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार
 (ख) शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील
 (ग) डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल
 (घ) एम.टी.एन.एल., भारतीय रेल, एयर इण्डिया, सहारा एयरलाइन्स, ऑल इण्डिया रेडियो।

5. एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आँकड़े जुटाए –

कार्य स्थान	रोजगार की प्रकृति	श्रमिकों का प्रतिशत
सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में	संगठित	15
औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक		15
सड़कों पर काम करते लोग निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक		20
छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग, जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं		

तालिका को पूरा कीजिए। इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है?

6. क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे?
7. इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) पर ही क्यों केन्द्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद-पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें।
8. जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने चयन की व्याख्या कीजिए।
9. तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए।
10. प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए।
11. खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए।

12. “भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है।” क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
13. भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता हैं। ये लोग कौन हैं?
14. “असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है।” क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
15. अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं?
16. संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार-परिस्थितियों की तुलना करें।
17. रा.ग्रा.रो.गा.अ. 2005 (NREGA 2005) के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
18. अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए।
19. अपने क्षेत्र से एक-एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए:

	सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन	कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन
सार्वजनिक क्षेत्रक		
निजी क्षेत्रक		

20. सार्वजनिक क्षेत्रक की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है?
21. व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है?
22. असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है— मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
23. अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15,00,000 श्रमिकों में से 11,00,000 श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करते थे। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्रक से प्राप्त होती थी। इस आँकड़े को तालिका में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार-सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए?
24. निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) रुपए (करोड़) में दिया गया है:

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
1950	80,000	19,000	39,000
2010	8,18,000	1,24,900	28,18,000

- (क) वर्ष 1950 एवं 2010 के लिए स.घ.उ. में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए।
- (ख) इन आँकड़ों को अध्याय में दिए आलेख-2 के समान एक दण्ड-आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए।
- (ग) दण्ड-आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं?

शिक्षक के लिए निर्देश

अध्याय 3- मुद्रा और साख

मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है। मुद्रा का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग-अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करते हैं। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी समझें और परखें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते थे। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है।

भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से मुद्रा के नये रूपों का धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है, इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने के कई अवसर हैं। हमें 'मुद्रा के कार्यों' पर औपचारिक रूप से विचार करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। 'मुद्रा की उत्पत्ति' (मुद्रा गुणक) या आधुनिक प्रणाली का पृष्ठाघान जैसे विषयों को अध्याय में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं।

साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसलिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझना ज़रूरी है। अध्याय के दूसरे भाग में, इस पर नज़र डाली गई है कि किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में हजारों तरह की साख व्यवस्थाएँ देखते हैं। इसलिए, अच्छा होगा अगर विद्यार्थियों के परिवेश से जुड़ी

साख-व्यवस्थाओं के ज़रिए उन्हें इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो, खासतौर से गरीबों के लिए और यथोचित शर्तों पर। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह लोगों का अधिकार है और इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। बहुत से नवीन प्रयास, जैसे कि ग्रामीण बैंकों के हस्तक्षेप से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा सकता है लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं। हमें नये तरीके ढूँढ़ने की आवश्यकता है और यह विकासशील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है।

जानकारी के स्रोत

इस अध्याय में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक के साख संबंधी आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ग्रामीण कर्जों पर किए गए सर्वेक्षण से लिये गए हैं (अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण, 70वाँ, 2013, एन. एस. एस. ओ. द्वारा संचालित)। ग्रामीण बैंक पर जानकारी और आँकड़े अखबारों और वेबसाइट से ली गई हैं। बैंक संबंधित आँकड़ों की विस्तृत जानकारी या किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतीय रिज़र्व बैंक (www.rbi.org) और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों पर आँकड़े राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (www.nabard.org)।



मुद्रा विनिमय का एक माध्यम

मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन-देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएँ खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन-देन में मुद्रा के बदले सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन-देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान-प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो।

क्या आपने कभी सोचा है कि खरीददारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा।

जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूँ से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात् दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने

आपके गेहूँ के लिए मैं आपको जूते दूँगा।

पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा

संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में, जहाँ मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है।

इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूँढ़ें, जो न केवल उसके जूते

मुझे जूते नहीं चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए।

मुझे जूते चाहिए। लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है।

खरीदे बल्कि साथ-साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीददार ढूँढ़ना है। एक बार उसने जूते, मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे **विनिमय का माध्यम** कहा जाता है।



आओ-इन पर विचार करें

1. मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है?
2. क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं, जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है?

मुद्रा के आधुनिक रूप



प्रारम्भिक आहत सिक्के (लगभग 2500 वर्ष पुराने)



हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन-देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह-तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। उदाहरण के लिए, बहुत प्रारम्भिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चाँदी और ताँबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा।

कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में, सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए, रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है।

करेंसी

मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी-कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना-चाँदी और ताँबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है।

फिर, इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है, क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है।

भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय

बैंकों में निक्षेप

लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर, लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को माँग के ज़रिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को माँग जमा कहा जाता है।



गुप्तकालीन सिक्के



तुगलक के सिक्के



अकबर कालीन सोने की मोहर



आधुनिक सिक्का



माँग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का (विनिमय का माध्यम) महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चैक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चैक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका

किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चैक काटता है। चैक एक ऐसा कागज़ है, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चैक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है।

आइए, यह जानने की कोशिश करते हैं कि चैक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं।

चैक द्वारा भुगतान

जूता निर्माता एम. सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चैक लिखता है। अर्थात्, जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चैक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन-देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है।

The Payee

Pay **PREM KUMAR**

रुपये Rupees **fifty seven thousand only.**

खाता नंबर **16137926023**

या धारक को Or Bearer **₹. Rs. 57000/-**

अदा करें

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
(01690) NCERT (NEW DELHI)
N.I.E. CAMPUS,
SRI AUROBINDO MARG,
NEW DELHI 110016

बैंक शाखा संख्या

चैक नंबर **16137926023**

बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड **1100020781 000313 10**

M. Salim.

इस तरह हम देखते हैं कि माँग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। माँग जमा के बदले चैक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किये सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि माँग जमाओं को करेंसी के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए

आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है।

यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी माँग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप-करेंसी और जमा-आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं।



आओ-इन पर विचार करें

1. एम. सलीम भुगतान के लिए 20,000 रु. नकद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वह चैक कैसे लिखेंगे?
2. सही उत्तर पर निशान लगाएँ –
 - (अ) सलीम और प्रेम के बीच लेन-देन के बाद
 - (क) सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है।
 - (ख) सलीम के बैंक खाते में शेष घट जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है।
 - (ग) सलीम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष घट जाता है।
3. माँग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है?

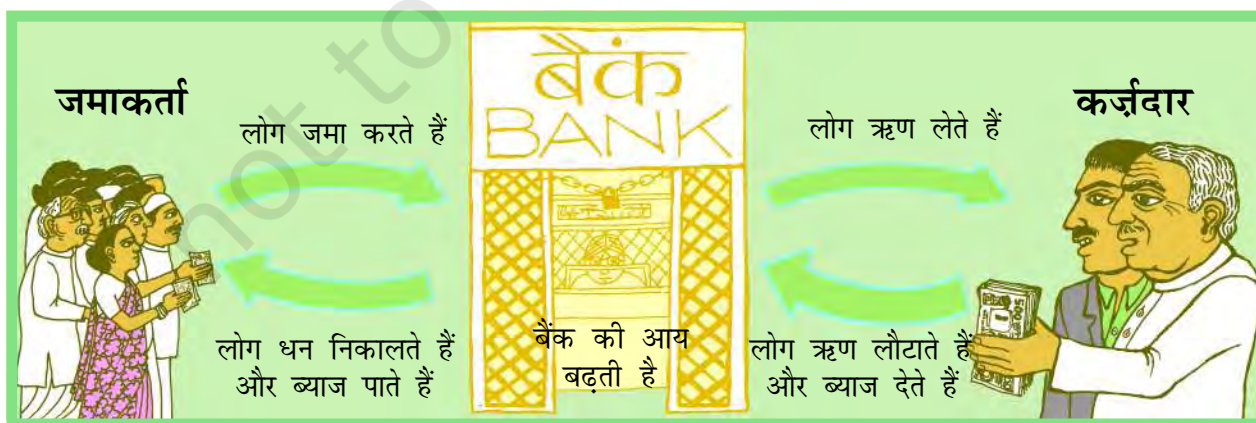
बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ

बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, उसका क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए, आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में, केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है।

बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक

गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत माँग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खण्डों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह, बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है (जमाकर्ता) एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है (कर्जदार) के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिये गये ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है।

अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धन राशि की माँग करने बैंक पहुँच जाएँ तो क्या होगा?



साख की दो विभिन्न स्थितियाँ

हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन-देन होते हैं, जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण (उधार) से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएँ या सेवाएँ मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है?

(1) त्यौहार का मौसम

अब से दो महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की माँग आती है, जिसे उसे एक महीने के अन्दर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मज़दूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी ख़रीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का

प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुँचाने का वादा करता है।

महीने के आखिर में सलीम जूते पहुँचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा-खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है।



सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूँजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है।

(2) स्वप्ना की समस्या

एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूँगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालाँकि स्वप्ना फसल पर महँगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल, स्वप्ना खेती के लिए दुबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फँस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है।



ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य माँग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है।

स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज-ज़ाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है, जहाँ से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है।

एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में, फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फँसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है।

आओ—इन पर विचार करें

1. निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए।

	सलीम	स्वप्ना
उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी?		
जोखिम क्या था?		
परिणाम क्या हुए?		

2. मान लीजिए, सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी?
3. कौन से कारण हैं, जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए— कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकारों की भूमिका, मौसम।

ऋण की शर्तें

हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के

साथ अदा करता है। इसके अलावा, उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार (गिरवी रखने के लिए) की माँग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है, जिसका मालिक कर्जदार है (जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूँजी) और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति — जैसे कि ज़मीन, बैंकों में जमा पूँजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है।



आवास ऋण

मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपये का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12 प्रतिशत है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किश्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकार्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा।

मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें –

ऋण राशि (रुपये में)	
ऋण-अवधि	
आवश्यक कागजात	
ब्याज दर	
अदायगी का स्वरूप	
समर्थक ऋणाधार	

ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग-अलग हैं।



आओ-इन पर विचार करें

1. उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की माँग क्यों करता है?
2. हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है?
3. कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें –

ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है (निम्न/उच्च) ब्याज दर, (आसान/कठिन) अदायगी की शर्तें, (कम/अधिक) समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात

विविध प्रकार के साख प्रबंध- एक गाँव का उदाहरण

रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे - कौन लोग उधार देते थे? कर्जदार कौन थे? ऋण की क्या शर्तें थीं? उन्होंने अपने गाँव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं।



15, नवम्बर 2006, हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहाँ दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा-सा गाँव, जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ मौजूद हैं, के एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं।

श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गाँव के महाजन से ऋण लेता था जिस पर उसे 5 प्रतिशत मासिक ब्याज देनी पड़ती थी (60 प्रतिशत वार्षिक)। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गाँव के एक कृषि व्यापारी से 3 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें (जरूरतें) मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है।

ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जायेगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है।



अब हम **अरूण** से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरूण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरूण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है, जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5 प्रतिशत है और इसे अगले तीन वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरूण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरखास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं।

रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतया, रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में, उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी-नियोक्ता ही हैं।

सहकारी समितियों से ऋण

बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियाँ हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियाँ संभव हैं, जैसे-किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियाँ। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गाँव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती हैं। इस जमा पूँजी को ऋणाधार मानते हुए, इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूँजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है।

कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है।



आओ-इन पर विचार करें

1. सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए।
2. ऊपर दिए हुए अनुच्छेदों में ऋण के विभिन्न प्रयोगों वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए।
3. सोनपुर के छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ऋण की शर्तों की तुलना कीजिए।
4. श्यामल की तुलना में अरुण को खेती से ज़्यादा आय क्यों होगी?
5. क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है? किन लोगों को मिल सकता है?
6. सही उत्तर पर निशान लगाइए –
 - (क) समय के साथ, रमा का ऋण
 - बढ़ जाएगा
 - समान रहेगा
 - घट जाएगा
 - (ख) अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जो बैंक से उधार लेते हैं क्योंकि –
 - गाँव के अन्य लोग साहूकारों से कर्ज लेना चाहते हैं।
 - बैंक समर्थक ऋणाधार की माँग करते हैं जो कि हर किसी के पास नहीं होती।
 - बैंक ऋण पर ब्याज दरें उतनी ही हैं जितना कि व्यापारी लेते हैं।
7. कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, जिनसे आपको अपने क्षेत्र में ऋण प्रबंधों के बारे में कोई जानकारी मिले। अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कीजिए। विभिन्न लोगों में ऋण की शर्तों में विभिन्नता को लिखिए।

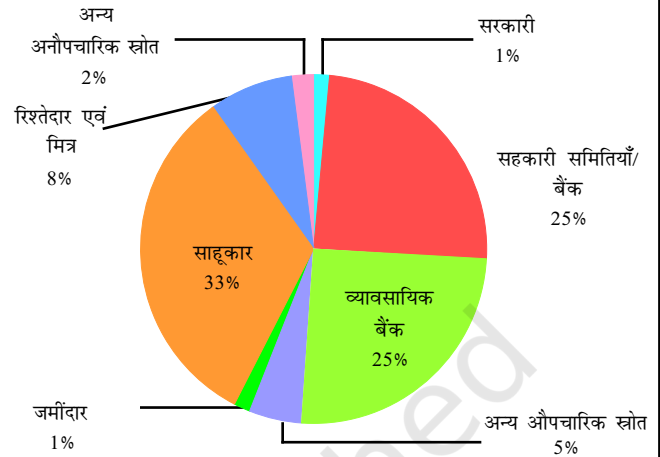
भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख

हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है – औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख-1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से?

भारतीय रिज़र्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए, हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आर. बी. आई. नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आर.बी.आई. इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने

लेकिन, बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा?

आलेख 1 – वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत



वाले व्यावसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय-समय पर, बैंकों द्वारा आर.बी.आई. को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है?

अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है।



औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए, अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है।

ऋण की ऊँची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदाएगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए, कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है (जैसा कि हम ने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा)। कुछ मामलों में ऋण की ऊँची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है (जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा) और व्यक्ति ऋण-जाल में फँस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देख कर पीछे हट जाएँ।

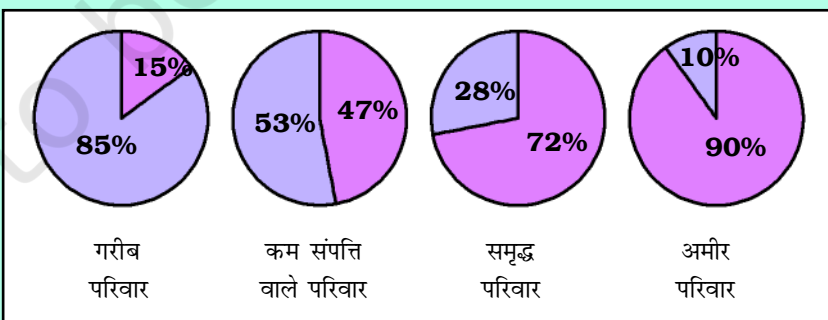
इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है।

औपचारिक और अनौपचारिक साख – किसे क्या मिलता है?

आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को चार भागों में बाँटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85 प्रतिशत जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इस की तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 10 प्रतिशत कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से जबकि 90 प्रतिशत औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है।

इस सबसे क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50 प्रतिशत पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गये उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की

आलेख 2 – शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था?



नीला: अनौपचारिक स्रोत में ऋण की प्रतिशत

बैंगनी: औपचारिक स्रोत में ऋण का प्रतिशत

आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए, बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियाँ विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे।

दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह

भी ज़रूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में, अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें।

आओ—इन पर विचार करें

1. ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अन्तर है?
2. सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए?
3. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नज़र रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा?
4. आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है?

रजाई की सिलाई करता
एक मजदूर

क्या आप मानते हैं कि
बैंक मुझे ऋण देगा?



निर्धनों के स्वयं सहायता समूह

पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती

है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर, अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाये बिना भी, नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन,

महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊँची रखते हैं, लेन-देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं।

हाल के वर्षों में, लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इन में से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूँजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक-दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। एक या दो वर्षों के बाद, अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए, सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूँजी की जरूरतें (बीज, खाद, बाँस और कपड़े खरीदने के लिए), घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं।

बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण—उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता

है। इस ऋण को लौटाने की ज़िम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण, बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता।

इस तरह, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के ज़रिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहाँ वह तरह-तरह के सामाजिक विषयों जैसे, स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं।

गुजरात में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की बैठक



बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक

बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष अक्टूबर 2014 में ग्रामीण बैंक के अब 8.63 लाख सदस्य हैं जो बांग्लादेश के 81,390 गाँवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएँ हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएँ भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं।

“अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं।”

प्रो. मोहम्मद युनूस।
ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए
नोबेल पुस्कार से सम्मानित।

सारांश

इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक

ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में, अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महँगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही, बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी हैं।

अभ्यास

1. जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएँ खड़ी कर सकता है। स्पष्ट कीजिए।
2. मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए।
3. अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं?
4. 10 रुपये के नोट को देखिए। इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं?
5. हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है?
6. गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या हैं? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
7. क्या कारण हैं कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते?

8. भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है? यह ज़रूरी क्यों है?
9. विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
10. मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिये ऋण की ज़रूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिये या साहूकार से? चर्चा कीजिए।
11. भारत में 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की ज़रूरत होती है।
 (क) बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं?
 (ख) वे दूसरे स्रोत कौन हैं, जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं।
 (ग) उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं।
 (घ) सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
12. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें –
 (क) परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं।
 (ख) ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है।
 (ग) केन्द्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है।
 (घ) बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं।
 (ङ) सम्पत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है, जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता।
13. सही उत्तर का चयन करें –
 (क) स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं –
 • बैंक द्वारा
 • सदस्यों द्वारा
 • गैर सरकारी संस्था द्वारा
 (ख) ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है –
 • बैंक
 • सहकारी समिति
 • नियोक्ता

अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप

नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के व्यवसाय दिखाती है। इन लोगों को किन उद्देश्यों के लिए ऋण की ज़रूरत हो सकती है? रिक्त स्तंभों को भरें।

व्यवसाय	ऋण लेने का कारण
निर्माण मज़दूर कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति दिल्ली में प्रवासी मज़दूर घरेलू नौकरानी छोटा व्यापारी ऑटो रिक्सा चालक बंद फैक्ट्री का मज़दूर	

आगे, लोगों को दो वर्गों में विभाजित कीजिए, जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें कर्ज मिलने की आशा नहीं है। आपने वर्गीकरण के लिए किन कारकों का उपयोग किया?

शिक्षक के लिए निर्देश

अध्याय 4— वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं— सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, लेकिन इस अध्याय में अत्यन्त सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में पारिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है।

यदि हम विगत तीस वर्षों पर नज़र डालें, तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं? अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलनों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें कि उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक हैं। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जाँच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों, जैसा कि खंड-II के अंत में दिया गया है, का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाज़ार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्याय में, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अगले विषय पर जाने से पहले, आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर लें।

वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से तीन कारकों पर बल दिया गया है — प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और

डब्ल्यू. टी. ओ. जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण-पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित हैं। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात् की स्थितियों में तुलना एवं विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार, डब्ल्यू. टी.ओ. के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय हैं, जिनको व्याख्यान की बजाए चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है।

अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभावों को शामिल किया गया है। विकास-प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है? इस खंड में अध्याय 1 एवं 2 (जैसे, न्यायसंगत विकास लक्ष्य क्या है) के विषय भी ध्यान में रखे गए हैं, जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलापों और उदाहरणों को लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सकेगा जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया है, जैसे-स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव, इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार-मंथन-सत्रों का आयोजन किया जा सकता है।

सूचना के स्रोत

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी वेबसाइट www.ilo.org पर न्यायसंगत वैश्वीकरण की अपील की है। ऐसी अपीलें अन्य संगठनों ने भी की हैं। एक अन्य रोचक स्रोत WTO की वेबसाइट <http://www.wto.org> है। यह डब्ल्यू.टी.ओ. में किए जा रहे अनेक प्रकार के समझौतों की जानकारी देता है। कंपनियों से संबंधित जानकारियों के लिए अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी वेबसाइट हैं। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आलोचनात्मक ढंग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमोदित वेबसाइट www.corporatewatch.org.uk है।



आज के विश्व में, उपभोक्ता के रूप में हममें से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए, जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थीं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है – कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक।

हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। दो दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। **कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है।**

हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे।



अन्तरदेशीय उत्पादन

बीसवी शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें **बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ** कहते हैं,

के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं, जहाँ उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं –

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार

औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केन्द्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं। फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहाँ उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच, कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंट्रों के माध्यम से संचालन किया जाता है।

यह बंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है।



इस उदाहरण में, बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि **वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है।** परिणामतः **उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है।** उत्पादन-प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में, फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केन्द्र होने का लाभ प्रदान करता है। मेक्सिको और पूर्वी

यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद हैं। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं, जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं, जो ग्राहक देखभाल सेवायें उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60 प्रतिशत बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में, सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है।

आओ-इस पर विचार करें

यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन-प्रक्रिया कैसे विश्व-भर में फैली हुई है।

एक ब्रांड लेबल पर 'मेड इन थाइलैण्ड' लिखा है, परन्तु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण-प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे, वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है

विश्व-भर के उत्पादन को एक-दूसरे से जोड़ना

सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं, जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। आप बाद में, इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे।

इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे - भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियाँ लाभ अर्जित करेंगी।

कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं।



वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

57

लेकिन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहाँ उसके ब्राण्ड काफी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के चार तेल शोधक केन्द्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है।

वास्तव में, कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के सम्पूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते-चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं, जहाँ विश्वभर में बड़ी संख्या में



विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रु. में बेची जा रही हैं।

छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। फिर इन्हें अपने ब्राण्ड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम-शर्तों का निर्धारण करने की प्रचण्ड क्षमता होती है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा, आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर-दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है।

लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबाल-निर्माण का चित्र



आओ-इन पर विचार करें

एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटरगाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आयी और चेन्नई के निकट 1,700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच रही थी, जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और ब्राजील किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केन्द्र के रूप में करना चाहती है।

बायें दिए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें।

1. क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्यों?
2. विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था?
3. भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती हैं, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या करें।
4. आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कार के पुर्जों के विनिर्माण केन्द्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्न कारकों पर विचार करें— (अ) भारत में श्रम और अन्य संसाधनों पर लागत (ब) कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति, जो फोर्ड मोटर्स को कल-पुर्जों की आपूर्ति करते हैं (स) अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता।
5. भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा?
6. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं?
7. लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं जैसे, नोकिया, कोका-कोला, पेप्सी, होन्डा, नाइकी। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है?



भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही हैं।

विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण

लम्बे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियाँ जैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है?

सरल शब्दों में कहा जाए, तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात् अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुँचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार, दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीददारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है।



अब हम भारत के बाज़ार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

भारत में चीन के खिलौने

चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरम्भ करते हैं। अब भारत में खरीददारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80 प्रतिशत दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में

खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं।

यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीददारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत, भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं।



सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है।



सिलेसिलाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए।

आओ-इन पर विचार करें

1. अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अब यह अलग कैसे है?
2. विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें।
3. हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा –
 (क) चीन की इस्पात कंपनियों को
 (ख) भारत की इस्पात कंपनियों को
 (ग) चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को
4. चीन के बाज़ारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात-बाज़ार के एकीकरण में सहायता करेगा? व्याख्या करें।

वैश्वीकरण क्या है?

विगत दो तीन दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं, जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे, भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र, केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारों और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार-पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार, अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है।



वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के

अधिकांश भाग एक-दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक सम्पर्क में आए हैं।

वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं किन्तु, विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

आओ-इन पर विचार करें

1. वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है?
2. वे कौन से विभिन्न तरीके हैं, जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है?
3. सही विकल्प का चयन करें –
देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे
(क) उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी
(ख) उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी
(ग) उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा



हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है ...

वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक

प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे, विगत पचास वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लम्बी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है।



वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर

वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है, जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से दुलाई-लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुँचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, वायु यातायात की लागत में गिरावट आयी है। परिणामतः वायुमार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है।

इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं (टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स) का विश्व भर में एक-दूसरे से सम्पर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएँ संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं,

लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बाँट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक (ई-मेल) भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व-भर में बात (वॉयस मेल) कर सकते हैं।



सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (संक्षेप में आई.टी.) ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभायी है। हम देखते हैं कैसे?



यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है। लेकिन मेरी पाठ्यपुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ!

नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है।

वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है। पत्रिका का पाठ्य-विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुमार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट (ई-बैंकिंग) के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है।

आओ-इन पर विचार करें

1. ऊपर दिए गए उदाहरण में, उत्पादन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित करें।
2. सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव होता?

विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण

हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है। तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं, उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीददारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएँगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना-निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएँगे।

आयात पर कर, **व्यापार अवरोधक** का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है, क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती (नियमित करने) करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएँ कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए,

भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे, मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है।

भारत में करीब सन् 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया।

अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात-निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियाँ यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थीं।

सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यावसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है।

आओ—इन पर विचार करें

1. विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं?
2. आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है। इसे कोटा कहते हैं। क्या आप चीन के खिलौनों के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चर्चा करें।

विश्व व्यापार संगठन

हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) एक ऐसा संगठन है, जिसका ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन (जून 2014) के सदस्य हैं।

यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर, विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है।

व्यापार व्यवहारों पर वाद-विवाद

आपने अध्याय-2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोज़गार और सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों, जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत और कुल रोज़गार में केवल 0.5 प्रतिशत है। फिर भी, अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन राशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धन राशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाज़ारों में कम कीमत पर बेचा जाता है जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।

यही कारण है कि विकासशील देश, विकसित देशों की सरकारों से सवाल

कर रहे हैं कि 'हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज़ कर दिया और अपने किसानों को भारी धन राशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परन्तु आप स्वयं यहीं काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है?'

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र, जिसमें हजारों एकड़ भूमि है और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है।



आओ-इन पर विचार करें

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें -

विश्व व्यापार संगठन देशों की पहल पर शुरू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए से संबंधित नियम बनाता है और देखता है कि व्यवहार में, देशों के बीच व्यापार नहीं है। विकासशील देश, जैसे, भारत है जबकि अधिकांश स्थितियों में विकसित देशों ने अपने उत्पादकों को संरक्षण देना जारी रखा है।

2. आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्यायसंगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है?

3. उपर्युक्त उदाहरण में, हमने देखा कि अमेरिकी सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धन राशि देती है। कभी-कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। यह न्यायसंगत है या नहीं, चर्चा करें।

भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव

विगत बीस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लम्बी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? हम कुछ प्रमाण देखते हैं।

वैश्वीकरण और उत्पादकों-स्थानीय एवं विदेशी दोनों, के बीच वृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनन्द ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है।

पहला, विगत 20 वर्षों में **बहुराष्ट्रीय कंपनियों** ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीददार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नये रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही, इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करनेवाली स्थानीय कंपनियाँ समृद्ध हुईं।



विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम

हाल के वर्षों में भारत की केन्द्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएँ-बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भण्डारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक पाँच वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है।

विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम-कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय-2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना

है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है, तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी, विदेशी कंपनियाँ अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की माँग कर रही हैं।



दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियाँ बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन-मानकों को ऊँचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया।

इससे भी आगे, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स (मोटरगाड़ियाँ), इंफोसिस (आई. टी.), रैनबैक्सी (दवाइयाँ), एशियन पेंट्स (पेंट), सुंदरम फास्नर्स (नट और बोल्ट) कुछ ऐसी भारतीय कंपनियाँ हैं,

जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं।

वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नये अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आँकड़ा प्रविष्टि (डाटा एन्ट्री), लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवायें भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं।

आओ-इन पर विचार करें

1. प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है?
2. क्या और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारना चाहिए? इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा?
3. सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं?
4. अध्याय 1 में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंसक हो सकता है। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज़) की स्थापना का विरोध किया है। पता कीजिए, ये लोग कौन हैं और ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

छोटे उत्पादक – प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ

वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियाँ खड़ी की हैं।



बढ़ती प्रतियोगिता

रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन् 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसुर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। तीन वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे।

अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ, जब सरकार ने सन् 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों में

टेलीविजन कंपनियाँ थीं, जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जों थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती हैं। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन-कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थीं, तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी।

अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल सात श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने, जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयाँ बंद कर दीं।

बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गईं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोज़गार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक (2 करोड़) नियोजित हैं।

आओ-इन पर विचार करें

1. रवि की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई?
2. दूसरे देशों के उत्पादकों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवि जैसे उत्पादकों को उत्पादन रोक देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं?
3. नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाज़ार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है – (अ) बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र, (ब) प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण और (स) उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता।
 - क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये तीन चीजें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी?
 - क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी? क्यों?
 - क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है? क्यों?
 - क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसे कि सरकार अपना सके? चर्चा करें।

प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोज़गार

वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोज़गार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोज़गार अब सुनिश्चित नहीं है।

अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं?



वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक – यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया है, परन्तु रोज़गार की स्थितियाँ यह प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली।

अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएँ खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम-लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोज़गार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोज़गार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लम्बे कार्य-घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक माँग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोज़ी-रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं।

हालाँकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परन्तु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है।

कपड़ा श्रमिक

35 वर्षीया सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई, तो छह माह तक रोज़गार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 कि.मी. दूर एक रोज़गार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के सातों दिन सुबह 7.30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है, उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं।

उपरोक्त कार्य-परिस्थितियाँ और श्रमिकों की कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य-परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है, जिसका वह पहले उपभोग करती थी।

आओ-इन पर विचार करें

- वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है?
- वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकता है?
 - (क) सरकार
 - (ख) निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता
 - (ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ
 - (घ) श्रमिक
- वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों के पक्षों का संक्षिप्त विवरण दें।

न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष

उपर्युक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नये अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर, अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है।

चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक 'न्यायसंगत' कैसे बनाया जा सकता है? न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो।

सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे, सरकार यह सुनिश्चित

कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है, जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जायें। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह 'न्यायसंगत नियमों' के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा।

विगत कुछ वर्षों में, बड़े अभियानों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।



हांगकांग में डब्ल्यू.टी.ओ. के खिलाफ प्रदर्शन-2005

सारांश

इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं, जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है।

देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभायी है।

साथ ही, व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है।

जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं परन्तु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो।

अभ्यास

1. वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
2. भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी?
3. श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा?
4. दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं?
5. विकसित देश, विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी माँग करनी चाहिए?
6. 'वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है'। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
7. व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचाती हैं?
8. विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
9. वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से बीस वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए।
10. मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं – एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुँचाई है, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे?
11. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

दो दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीददारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि। जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते और के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम ।
12. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए –
 - (क) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। (अ) मोटर गाड़ियों
 - (ख) आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार नियमन (ब) कपड़ा, जूते-चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है।
 - (ग) विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियाँ (स) कॉल सेंटर
 - (घ) आई. टी. ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। (द) टाटा मोटर्स, इंफोसिस रैनबैक्सी
 - (ङ) अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। (य) व्यापार अवरोधक

13. सही विकल्प का चयन कीजिए –

- (अ) वैश्वीकरण के विगत दो दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है
- (क) देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का
- (ख) देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का
- (ग) देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का
- (आ) विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है
- (क) नये कारखानों की स्थापना
- (ख) स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना
- (ग) स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना
- (इ) वैश्वीकरण ने जीवन-स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई है।
- (क) सभी लोगों के
- (ख) विकसित देशों के लोगों के
- (ग) विकासशील देशों के श्रमिकों के
- (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप

- कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए, जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं (साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ इत्यादि)। जाँच कीजिए कि इनमें से कौन-कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित हैं।
- अपनी पसंद के किसी भी भारतीय उद्योग या सेवा को लीजिए। उद्योग के निम्नलिखित पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कारों, समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं की कतरनों, पुस्तकों, दूरदर्शन एवं इंटरनेट से जानकारियाँ और फोटो संकलित कीजिए –
 - उद्योग में विविध उत्पादक/कंपनियाँ।
 - क्या उत्पाद अन्य देशों को निर्यात होता है।
 - क्या उत्पादकों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं।
 - उद्योग में प्रतिस्पर्धा।
 - उद्योग में कार्य-परिस्थितियाँ।
 - क्या विगत पंद्रह वर्षों में उद्योग में कोई बड़ा बदलाव आया है।
 - उद्योग में कार्यरत लोगों की समस्याएँ।

शिक्षक के लिए निर्देश

अध्याय 5- उपभोक्ता अधिकार

यह अध्याय हमारे देश में बाज़ार की कार्यविधि के संदर्भ में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर विचार करता है। बाज़ार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। इसलिए, नये उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है (नये उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के रूप में सावधान और जानकारी नागरिक बनना है)। यह अध्याय कुछ घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ उपभोक्ता शोषण का शिकार हुए थे और कैसे वैध संस्थाओं ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की। इन घटनाओं का विवरण छात्रों को उनके जीवन अनुभवों को आसपास की घटनाओं से जोड़ने में समर्थ बनाएगा। हमें छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होकर उपभोक्ता आंदोलन को नयी दिशा दें और अपने लंबे संघर्षों द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएँ। यह अध्याय कुछ ऐसे संगठनों के बारे में भी जानकारी देता है, जो विभिन्न प्रकार से उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। अध्याय के अंत में भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कुछ गंभीर मुद्दों को बताया गया है।

शिक्षण के तरीके/सूचना के स्रोत

इस अध्याय में प्रश्नों, संदर्भ अध्ययनों और गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन मुद्दों पर छात्रों का समूहों में विचार-विमर्श करना बेहतर होगा। इनमें से कुछ का उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिख कर दिया जा सकता है।

आप प्रत्येक क्रियाकलाप का आरंभ उस पर एक गहन परिचर्चा-सत्र के साथ कर सकते हैं। साथ ही, इस अध्याय में आपकी भूमिका निर्धारित करने के लिए अनेक संभावनाएँ हैं, जो मुद्दों को गहराई से समझने और अपने अनुभवों को

लोगों में बाँटने का बेहतर तरीका हो सकती हैं। सम्मिलित रूप से इशतहार बनाना इन मुद्दों पर विचार करने का दूसरा तरीका है। इस अध्याय में कई गतिविधियों को रखा गया है, जिनको पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। यात्राओं की ज़रूरत पड़ेगी। ये संस्थाएँ उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता संस्थाएँ, उपभोक्ता अदालतों, खुदरा दुकानें, बाज़ारों आदि की हो सकती हैं। छात्रों के अधिकाधिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का आयोजन करें। संपर्कों के उद्देश्यों के बारे में उनसे परिचर्चा करें, काम शुरू करने से पहले की सावधानी, अन्य ज़रूरी चीज़ें और कार्य (रिपोर्ट, प्रस्ताव, नियमावली, सामान आदि) जो उन्हें यात्रा के बाद प्राप्त होंगी, उन पर चर्चा करें। इस अध्याय में छात्र पत्र लेखन और वार्तालाप में हिस्सा ले सकते हैं। हमें इस अध्याय के अभ्यासों की भाषा के प्रति संवेदनात्मक होना पड़ेगा।

इस अध्याय में प्रामाणिक वेबसाइटों, पुस्तकों, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं से सामग्री संकलित की गई है। उदाहरण के लिए, <http://www.mca.gov.in> केंद्रीय सरकार की उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट www.cuts-international.org जो भारत में बीस वर्षों से अधिक समय से काम कर रही उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है। यह भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इसे छात्रों के बीच साझेदारी की आवश्यकता है ताकि वे भी अपने कार्यकलापों में हिस्से के रूप में संकलित कर सकें। इसलिए, वे कार्यकलापों से प्राप्त सामग्री को भी इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाचार-पत्रों के अंशों और उपभोक्ता अदालतों में संघर्ष कर रहे उपभोक्ताओं से ली जा सकती है। छात्र उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता अदालतों और इंटरनेट जैसे विभिन्न स्रोतों से सामग्री को संकलित करें और पढ़ें।

बाज़ार में उपभोक्ता

बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में, हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाज़ार में तब होती है, जब वे अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जानेवाली ये अंतिम वस्तुएँ होती हैं।

पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाये गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है, जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह-तरह के दाँव-पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार, असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है, जो न्यायोचित नहीं होती हैं और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएँ हैं

जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लम्बा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो।

बाज़ार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गयी वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है, तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है: “आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए।” मानो, बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है।

बाज़ार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ, कभी-कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं, जिनका वर्णन पहले न किया गया हो या मिलावटी/दोषपूर्ण वस्तुएँ बेची जाती हैं।

जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीददारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाज़ार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है, जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियाँ कर रही हों। अधिक पूँजीवाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियाँ विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाज़ार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय-समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा

उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए, ताकि मुझे नया खरीदना पड़े।



उत्पाद बेहतर हैं, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह, सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है।

सभी जानते हैं कि तम्बाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तम्बाकू कंपनियों को तम्बाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूँजीवाद है।



आओ—इन पर विचार करें

1. वे कौन-से विभिन्न तरीके हैं, जिनके द्वारा बाज़ार में लोगों का शोषण हो सकता है?
2. अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें, जहाँ आपको यह लगा हो कि बाज़ार में 'धोखा' दिया जा रहा था। कक्षा में चर्चा करें।
3. आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?

उपभोक्ता आंदोलन

उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाज़ार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लम्बे समय तक, जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीददारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में, भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया।

भारत में 'सामाजिक बल' के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म, अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएँ वृहत् स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगीं थीं। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़-भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में, भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

उपभोक्ता इंटरनेशनल

1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु 'उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह' के लिए, एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है।



इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह आंदोलन वृहत् स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 कानून का बनना था, जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। आप COPRA के बारे में आगे पढ़ेंगे।

आओ-इन पर विचार करें

1. उपभोक्ता दलों द्वारा कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं?
2. नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है। क्यों? विचार-विमर्श करें।



उपभोक्ता अधिकार

सुरक्षा सबका अधिकार है

रेजी का कष्ट

रेजी मेथ्यू, कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का, केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ई.एन.टी. सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया।

उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5,00,000 के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कह कर



मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं हैं। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जाँच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया।

रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिन्दगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत-सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएँ और सेवाएँ हैं, जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, प्रेशर कूकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं? फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्तावाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है।

आओ—इन पर विचार करें

- निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं (आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं) पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए?
(क) एल.पी.जी. सिलिंडर (ख) सिनेमा थिएटर (ग) सर्कस (घ) दवाइयाँ (च) खाद्य तेल (छ) विवाह पंडाल (ज) एक बहुमंजिली इमारत
- आपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए, जहाँ आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार-विमर्श करें।

उपभोक्ता अधिकार

79

वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी

जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएँगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती हैं। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के 'उचित प्रयोग के बारे में निर्देश' और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो 'धुलाई संबंधी निर्देश' प्राप्त करेंगे।

आखिर ऐसे नियम क्यों बनाये गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियाँ देनी पड़ती हैं? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसके बारे में उसे **सूचना पाने का अधिकार** है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की माँग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है,

तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय-सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसी तरह से यदि, कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता, विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल-भाव कर सकते हैं।

आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन् 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI (राइट टू इनफॉर्मेशन) या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्य-कलापों की सभी सूचनाएँ पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आर.टी.आई. एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है-



इंतज़ार ...

अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाणपत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना -पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था।

आओ-इन पर विचार करें

1. “जब हम वस्तुएँ खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी-कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है।” इसके संभावित कारणों पर बात करें। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? चर्चा करें।
2. कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट को लें, जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें, कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियाँ दी जानी चाहिए, जो उन पर नहीं हैं? चर्चा करें।
3. लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे- खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब RTI कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिये?

चयन के अधिकार का उल्लंघन

पैसे लौटाए गए

अंसारी नगर के अबिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय, पूरे दो वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए। लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसीलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने एक साल का पैसा लौटाने की बात की, तो उसे मना कर दिया गया।

जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया, तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपया लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को



चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा।

राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है साथ ही जेल भी हो सकती है।

हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा **चुनने का अधिकार** होगा। मान लीजिए, आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा, जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के

इच्छुक नहीं हैं, तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह, कभी-कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है, जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिलकुल नहीं होती और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता।

उपभोक्ता अधिकार

81

आओ-इन पर विचार करें

यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं, जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है, जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाता हो? इस पर विचार विमर्श कीजिए।

- प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट।
- अखबार के ग्राहक बनें, साल के अंत में उपहार पायें।
- खुरचिये और 10 लाख तक का इनाम जीतिए।
- 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चाकलेट।
- पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का।
- 2000 रुपये तक का जूता खरीदें और 500 रुपये तक का एक जोड़ी जूता मुफ्त पाएँ।

इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए?

रेजी मैथ्यू और अबिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें, जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है।

ये कुछ उदाहरण हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएँ अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में, इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए?

उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुँचाई जाती

है, तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन-प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।

आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गाँव एक मनीऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी, तब पैसे नहीं प्राप्त हुए। यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नयी दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए, वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं।

1. अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनीऑर्डर भेजने पोस्ट-ऑफिस जाता है।



2. प्रकाश को यह पता चला कि रुपये उसकी बेटी को नहीं मिले हैं।



3. प्रकाश ने पोस्ट-ऑफिस में मनीऑर्डर के बारे में पूछताछ की।



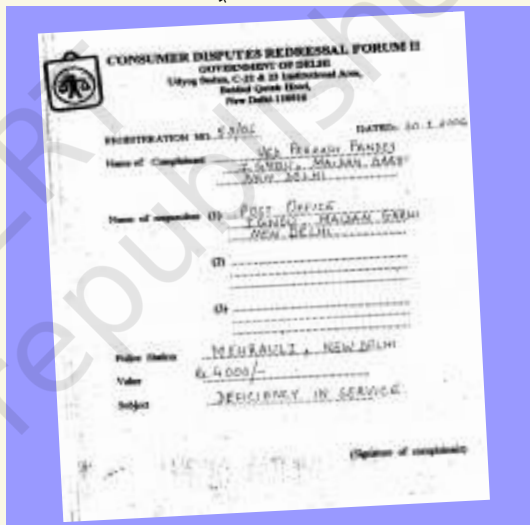
4. पोस्ट-ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।



5. प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में सलाह लेने जाते हैं।



6. प्रकाश तब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फार्म लेते हैं।



7. वे अदालत में मुकदमें पर स्वयं बहस करते हैं।



8. अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।

9. जज अदालत का फैसला सुनाते हैं।



भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएँ। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष (उपभोक्ता) का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं।

यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने 'निवासी कल्याण संघ' का नामपट्ट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है, तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है।

कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है, राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से एक करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है।

इस प्रकार, अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है।



आओ-इन पर विचार करें

निम्नलिखित को सही क्रम में रखें-

- अरिता जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है।
- वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है।
- वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोषयुक्त सामग्री दी है।
- वह अदालती कार्यवाहियों में भाग लेना शुरू कर देती है।
- वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- अदालत के समक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया।
- वह एक खुदरा विक्रेता से दीवाल घड़ी खरीदती है।
- कुछ ही महीनों के भीतर, न्यायालय ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया कि उसकी पुरानी दीवाल घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उसे एक नयी घड़ी दी जाए।

जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें

जब हम विभिन्न वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते वक्त, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने

अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें। आप क्या सोचते हैं?

कोपरा (COPRA) अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं, वह एक उदाहरण है, जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकें। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे।



आई.एस.आई और एगमार्क

विभिन्न वस्तुएँ खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों-आई.एस.आई, एगमार्क या हॉलमार्क के शब्दचिह्न (लोगो) को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएँ खरीदता है, तो ये शब्दचिह्न (लोगो) और प्रमाणक चिह्न उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाणपत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्दचिह्न (लोगो को) प्रयोग करने की अनुमति देते हैं।

यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी, कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि, एल.पी.जी. सिलिंडर्स, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि। इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें।



आओ-इन पर विचार करें

1. इस अध्याय के पोस्टरों के कार्टूनों को देखें – एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाएँ।
 2. अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें।
 3. उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है।
 4. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है—
(क) चयन का अधिकार (घ) प्रतिनिधित्व का अधिकार
(ख) सूचना का अधिकार (च) सुरक्षा का अधिकार
(ग) निवारण का अधिकार (छ) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
- निम्नलिखित मामलों को उनके सामने दिए गए खानों में अलग शीर्षक और चिह्न के साथ श्रेणीबद्ध करें—
- (क) लता को एक नये खरीदे गए आयरन-प्रेस से विद्युत का झटका लगा। उसने तुरन्त दुकानदार से शिकायत की। ()
 - (ख) जॉन विगत कुछ महीनों से एम.टी.एन.एल. / बी.एस.एन.एल. / टाटा इंडीकॉम द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट है। उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया। ()
 - (ग) तुम्हारे मित्र ने एक दवा खरीदी, जो समाप्ति तारीख (एक्सपायरी डेट) पार कर चुकी है और तुम उसे शिकायत दर्ज करने की सलाह दे रहे हो। ()
 - (घ) इकबाल कोई भी सामग्री खरीदने से पहले उसके आवरण पर दी गई सारी जानकारियों की जाँच करता है। ()
 - (च) आप अपने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ()
 - (छ) आपने ये महसूस किया कि दुकानदार ने आपको खराब कैमरा दे दिया है। आप मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं। ()
5. यदि मानकीकरण वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुएँ बिना आई.एस.आई. अथवा एगमार्क प्रमाणन के मौजूद हैं?
 6. हॉलमार्क या आई.एस.ओ. प्रमाणन उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में

24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है, जहाँ उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय हैं।

भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्य विधियों के मामले में

कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं।

फिर भी, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमों अदालती कार्यवाहियों में



शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। अधिकांश खरीददारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है, ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीददारियाँ छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं।

दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे-धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के

लागू होने के बावजूद, खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर हैं। इस प्रकार, बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता।

फिर भी, उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है।

अभ्यास

1. बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएँ।
2. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाएँ।
3. दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें।
4. कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें, जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है?
5. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी?
6. अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें।
7. मान लीजिए, आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन-सा लोगो या शब्द चिह्न देखेंगे और क्यों?
8. भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए?
9. उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएँ और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियाँ लिखें।
10. उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं?
11. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें।
12. निम्नलिखित को सुमेलित करें—

(1) एक उत्पाद के घटकों का विवरण	(क) सुरक्षा का अधिकार
(2) एगमार्क	(ख) उपभोक्ता मामलों में संबंध
(3) स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना	(ग) अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण
(4) जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी	(घ) उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था
(5) उपभोक्ता इंटरनेशनल	(ङ) सूचना का अधिकार
(6) भारतीय मानक ब्यूरो	(च) वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक

13. सही या गलत बताएँ ।

- (क) कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है।
- (ख) भारत विश्व के उन देशों में से एक है, जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं।
- (ग) जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है, तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए।
- (घ) जब अधिक मूल्य का नुकसान हो, तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है।
- (ङ) हॉलमार्क, आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखनेवाला प्रमाण है।
- (च) उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है।
- (छ) उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है, जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है।

अतिरिक्त परियोजना/कार्यकलाप

1. आपका विद्यालय 'उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारों बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें। इसके लिए आप पृष्ठ 84 एवं 85 पर दिए गए विज्ञापन के विचारों और संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य आपके अंग्रेजी शिक्षक के सहयोग से करें।
2. श्रीमती कृष्णा ने 6 महीने की वारंटी वाला रंगीन टेलीविजन खरीदा। तीन महीने बाद टी.वी. ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की, जहाँ से टी.वी. खरीदा था तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टी.वी. बार-बार खराब होता रहा और श्रीमती कृष्णा का दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम से शिकायत करने का निर्णय लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए। आप लिखने से पहले अपने सहयोगी/समूह सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं।
3. अपने विद्यालय में उपभोक्ता क्लब स्थापित करें। बनावटी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें और उसमें अपने विद्यालय क्षेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालयों और दुकानों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें।
4. आकर्षक नारों वाले विज्ञापन तैयार करें, जैसे—
 - सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है।
 - ग्राहक, सावधान
 - सचेत उपभोक्ता
 - अपने अधिकारों को पहचानो
 - उपभोक्ता के रूप में, अपने अधिकारों की रक्षा करें।
 - उठो, जागो और तब तक मत रुको (पूरा करें)
5. अपने आसपास के चार-पाँच लोगों का साक्षात्कार लें, कि कैसे वे शोषण का शिकार बने और उनकी प्रतिक्रियाओं एवं विभिन्न अनुभवों को इकट्ठा करें।
6. निम्नलिखित प्रश्नावली को वितरित कर अपने क्षेत्र का एक सर्वेक्षण करें और जानें कि वे उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूक हैं।

प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाएँ	हमेशा (क)	कभी-कभी (ख)	कभी नहीं (ग)
1. जब आपने कोई सामान खरीदा, तो आपने रसीद की माँग की?	☐	☐	☐
2. क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा?	☐	☐	☐
3. जब आपको ऐसा लगा कि आप दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं, तो आपने उसकी शिकायत की?	☐	☐	☐
4. क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप छले गए हैं?	☐	☐	☐
5. क्या आप खुद को यह समझा कर संतुष्ट हो जाते हैं कि यह आपका दुर्भाग्य है कि अक्सर आप ठगे जाते हैं और इसमें नया कुछ भी नहीं है?	☐	☐	☐
6. क्या आप आई.एस.आई. चिह्न, समाप्ति तिथि आदि की जाँच करते हैं?	☐	☐	☐
7. अगर समाप्ति तिथि मात्र एक महीना या उसके आसपास हो तो क्या आप ताजे पैकेट की माँग करते हैं?	☐	☐	☐
8. क्या आप नये गैस सिलेंडर या पुराने अखबारों को खरीदने/बेचने से पहले खुद वजन की जाँच करते हैं?	☐	☐	☐
9. जब सब्जी विक्रेता वास्तविक बाट के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है, तो क्या आप विरोध करते हैं?	☐	☐	☐
10. क्या अत्यधिक चटकीले रंगों वाली सब्जियाँ आपके संदेह को बढ़ाती हैं?	☐	☐	☐
11. क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं?	☐	☐	☐
12. क्या आप अधिक कीमत को उच्च गुणवत्ता का मानक मानते हैं। (इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज्यादा भुगतान नहीं किया)?	☐	☐	☐
13. क्या आप आकर्षक प्रस्तावों पर बेहिचक प्रतिक्रिया करते हैं?	☐	☐	☐
14. आपने किसी वस्तु के लिए जो मूल्य दिया, उसकी तुलना दूसरों के द्वारा उसके लिए दिए गए मूल्य से करते हैं?	☐	☐	☐
15. क्या आप को पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे स्थाई ग्राहकों को कभी नहीं ठगता?	☐	☐	☐
16. क्या आप उचित भार आदि की किसी शंका के बगैर प्रस्तावित सामान की होम डिलिवरी का समर्थन करते हैं?	☐	☐	☐
17. आटो से यात्रा करते समय आप 'मीटर से चलने' की माँग करते हैं?	☐	☐	☐
टिप्पणी -			
(क) यदि प्रश्न 5,12,13,15 और 16 के लिए आपका उत्तर 'ग' और शेष के लिए 'क' है, तो आप उपभोक्ता के रूप में पूरी तरह जागरूक हैं।			
(ख) अगर प्रश्न 5,12,13,15 और 16 के लिए आपका उत्तर 'क' और शेष के लिए 'ग' है, तो आपको उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने की ज़रूरत है।			
(ग) यदि सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर 'ख' है, तो आप आंशिक रूप से जागरूक हैं।			

सुझावात्मक पाठ

पुस्तकें

- अमित भादुरी, *डेवलपमेंट विद डिगिटी: द केस फॉर फुल इम्प्लायमेंट*, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली, 2005
- अमित भादुरी एंड दीपक नायर, *इंटेलिजेंट पर्सन्स गाइड टु लिबरलाइजेशन*, पेंगुइन बुक्स, नयी दिल्ली, 2005
- अमित भादुरी, *मैक्रोइकोनॉमिक्स: द डॉयनामिक्स ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन*, मैकमिलन, लंदन, 1986
- अविजित विनायक बनर्जी, रोलैंड बेनाबो, दिलिप मुखर्जी (सं.) (2006), *अंडरस्टैंडिंग पोवर्टी*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 2006
- बिमल जालान (सं.), *इंडियन इकोनॉमी*, पेंगुइन बुक्स, नयी दिल्ली, 2002
- सी.यू.टी.एस., *इज इट रियली सेफ, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी*, जयपुर, 2004
- सी.यू.टी.एस. *स्टेट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर: एनालिसिस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 1985 इन इंडिया*, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर, 2001
- इन्द्राणी मजूमदार, *वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन: द इम्पैक्ट ऑन वीमेन वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया*, स्त्री, दिल्ली, 2007
- जगदीश भगवती, *इन डीफेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली, 2004
- जान ब्रेमन एंड पार्थिव शाह, *वर्किंग इन द मिल नो मोर*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली, 2005
- जान ब्रेमन, *फूटलूस लेबर: वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी*, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1996
- जॉन के. गालब्रेथ, *मनी: ह्वेन्स इट केम, ह्वेन्स इट वेन्ट*, इंडियन बुक कंपनी, नयी दिल्ली, 1975
- जीन ट्रेज एंड अमर्त्य सेन, *इंडिया: डेवलपमेंट एंड पार्टीसिपेशन*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली, थर्ड इम्प्रेशन, 2007
- जोसेफ स्टीगलिज, *ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकन्टेन्ट्स*, पेंगुइन बुक्स इंडिया, नयी दिल्ली, 2003
- नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, *लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन*, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं, दिल्ली, 2005
- तीर्थकर राय, *द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1875-1947*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सेकेंड एडिशन, 2006

सरकारी प्रकाशन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार

की रिजल्ट्स ऑफ इम्प्लायमेंट-अनइम्प्लायमेंट राउंड्स, नेशनल सैम्पल सर्वे अर्गनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001, योजना आयोग, भारत सरकार, नयी दिल्ली

अन्य रिपोर्टें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनमी, मुंबई

यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2014, यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जेनेवा

वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन

© NCERT
not to be republished